सत्यमेव जयते

वित्त मंत्री
भारत
नई दिल्ली - 110001
FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI - 110001

प्रस्तावना

शासन में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयास को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2007-08 के बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाली एक विवरणिका संग्रहित की गई है। इसमें भारत निर्माण संघटकों सहित सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां शामिल हैं।

मुझे, इस विवरणिका को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

पी. चिदम्बरम
(पी. चिदम्बरम)

विषय सूची

क्रम सं	पैरा सं. (2007-08 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
1.	* 9	भारत निर्माण के अंतर्गत प्रगति	01
2.	12	सकल बजटीय सहायता	01
3.	* 13	भारत निर्माण के लिए आवंटन	02
4.	⚐ 16	सर्वशिक्षा अभियान	02
5.	⚐ 17	मध्याह्न भोजन योजना के दायरे का विस्तार	02
6.	19	मध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना	02
7.	20	राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना	03
8.	⚐ 21	राजीव गांधी पेयजल मिशन	03
9.	⚐ 23	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	03
10.	25	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	04
11.	⚐ 26	पोलियो उन्मूलन	04
12.	⚐ 27	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	04
13.	⚐ 28	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	05
14.	29	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	05
15.	30	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	05
16.	⚐ 31	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	06
17.	32	लक्षित पीडीएस के मूल्यांकन, मॉनिटरिंग,प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण के लिए आयोजना स्कीम	06
18.	35	सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम	06
19.	36	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के दायरे का विस्तार	06
20.	37	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	07
21.	40	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति	07
22.	41	महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई पहलें	07
23.	44	किसानों के लिए प्रारूप राष्ट्रीय नीति	07
24.	45	कृषि ऋण	08
25.	46	ब्याज सहायता योजना	08
26.	47	चार राज्यों में संकट ग्रस्त जिलों के लिए विशेष योजना	08
27.	48	कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी समिति	09
28.	49	एकीकृत तिलहन, पॉम आयल, दलहन और मक्का विकास कार्यक्रम का विस्तार	09
29.	50	कॉफी, रबड़, मसाले, काजू और नारियल के लिए विशेष प्रयोजनी निधियां	10
30.	51	त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम	10
31.	52	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	10
32.	53	जलनिकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्भरण प्रायोगिक परियोजनाएं	10
33.	54	भूमिगत जल रिचार्ज	11
34.	55	वाटर हारवेस्टिंग का शिक्षण -सह-प्रदर्शन मॉडल की स्थापना	11
35.	56	प्रसार प्रणाली को पुनर्जीवित करना	12
36.	57	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी	12
37.	58	उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानो को देने की वैकल्पिक पद्धति	12
38.	59	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	12
39.	60	मौसम आधारित फसल बीमा योजना	13
40.	61	नाबार्ड को ग्रामीण बॉण्ड जारी करने की अनुमति देना	13
41.	62	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि	13
42.	63	आरआईडीएफ के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए पृथक विन्डो	14
43.	64	आम आदमी बीमा योजना	14
44.	67	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को इक्विटी सहायता और ऋण	15

क्रम सं	पैरा सं. (2007-08 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
45.	70	अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं	15
46.	71	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार परियोजना	16
47.	72	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	16
48.	73	कोयले के निर्दिष्ट अंतिम उपयोग की परिभाषा में विस्तार	16
49.	74	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम	16
50.	75	राष्ट्रीय सड़क/रेल परियोजनाएं	17
51.	76	आधारभूत संरचना के सृजन और रखरखाव के लिए परिक्रामी निधि	18
52.	78	एकीकृत्त वस्त्र उद्योग पार्क योजना	18
53.	79	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि	18
54.	80	हथकरघा क्षेत्र के लिए आवंटन वृद्धि	18
55.	81	बैंकों द्वारा ब्याज दर निर्धारित करते समय एसएमई की क्रेडिट रेटिंग पर विचार	19
56.	82	नारियल जटा उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना	20
57.	85	बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में पहलें	20
58.	86	सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिर्जव बैंक की इक्विटी धारिता का अधिग्रहण	20
59.	87	विभेदक ब्याज दर स्कीम	21
60.	88	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	21
61.	89	प्रतिवर्ती बंधक स्कीम	21
62.	90	बंधक गारंटी कंपनियों का गठन	22
63.	91	वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना	22
64.	92	लघु वित्तीय क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक	22
65.	93	नाबार्ड के तहत वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना	22
66.	94	पूंजी बाजारों के सुदृढ़ीकरण के उपाय	23
67.	95	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेस कंपनी लिमिटेड को एनएसएसएफ से उधार लेने की अनुमात देना	23
68.	97	दीपक पारिख समिति की सिफारिशें	24
69.	99	ई-गर्वनेंस कार्यक्रम	24
70.	100	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	25
71.	101	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में मुम्बई	25
72.	102	कौशल विकास संबंधी कृतिक बल	25
73.	103	500 आईटीआई का उन्नयन	26
74.	104	1396 आईटीआई का उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नयन	26
75.	105	विकलांगों के लिए रोजगार योजना	26
76.	106	ऋण प्रबंधन कार्यालय	27
77.	107	भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी	27
78.	108	जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञ समिति	27
79.	109	राष्ट्रमंडल खेल	28
80.	110	गांधी जी के कार्यों को जारी रखने वाली संस्थाओं हेतु निधियां	28
81.	111	भारतीय और विदेशी संस्थाओं से अध्येताओं को विशिष्ट परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए रखना	28
82.	112	कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान	29
83.	116	राष्ट्रीय स्तर के वस्तु और सेवा कर शुरू करने की कार्ययोजना	29
84.	159	उद्ग्रहणों की मौजूदा संरचना का अध्ययन करने और सिफारिशें करने हेतु समिति	29
85.	183	कर प्रशासन	29

* *भारत निर्माण*

ꟻ *फ्लैगशिप कार्यक्रम*

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	9	*** भारत निर्माण के अंतर्गत प्रगति** भारत निर्माण, सरकार की नीति का मूल आधार है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मौजूदा वित्त वर्ष में	वर्ष 2006-07 में भारत निर्माण के छः घटकों के तहत प्रगति निम्नानुसार रही :
		• त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन 900,000 हेक्टेयर सहित 2,400,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी;	• वर्ष 2006-07 के दौरान भारत निर्माण के अंतर्गत 1,940,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है ।
		• दिसम्बर, 2006 तक 55,512 आवासों को पेयजल उपलब्ध कराया गया जबकि लक्ष्य 73,120 आवासों का था;	• वर्ष 2006-07 में 73,120 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले, 107,350 आवासों को पेयजल मुहैया कराया गया ।
		• दिसम्बर, 2006 तक 12,198 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। आरआईडीएफ के अधीन अलग विंडो से कार्यक्रम के लिए एक वर्ष में निधियों में 4000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी;	• 2006-07 के दौरान 21,423 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा किया गया और 46,130 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किया गया।
		• दिसम्बर, 2006 तक 783,000 ग्रामीण घरों का निर्माण कार्य किया गया है तथा 914,000 घरों का निर्माण कार्य चल रहा है और 1,500,000 घरों के निर्माण कार्य का वार्षिक लक्ष्य पार कर लिए जाने की संभावना है;	• 2006-07 के दौरान 1,498,367 ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया ।
		• राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अब तक 19,758 गांवों को शामिल किया गया है; और	• 31 मार्च, 2007 तक 38,525 गांवों का विद्युतीकरण किया गया ।
		• 20,000 गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मुकाबले, 15,054 गांवों को टेलीफोन उपलब्ध कराएं गए हैं, तथा शेष गांवों को इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे।	• 31 मार्च, 2007 तक 46,969 गांवों को टेलीफोन उपलब्ध कराए गए । ***कार्यक्रम जारी***
		माननीय सदस्य यह देखेंगे कि भारत निर्माण प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : पेयजल आपूर्ति विभाग विद्युत मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय दूरसंचार विभाग जल संसाधन मंत्रालय योजना आयोग)	
2.	12	**सकल बजटीय सहायता** कुछ अड़चनों के होते हुए भी, मैं इस आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं। 2006-07 में सकल बजटीय सहायता 172,728 करोड़ रुपए नियत की गई थी और इसमें से केंद्रीय आयोजना के लिए सहायता 131,284 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2007-08 के लिए सकल बजटीय सहायता बढ़ाकर 205,100 करोड़ रुपए की जाएगी। इसमें से केंद्रीय आयोजना के लिए 154,939 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। (नोडल मंत्रालय/विभागः योजना आयोग)	केंद्रीय बजट 2007-08 में मंत्रालय/विभागवार सकल बजटीय सहायता आबंटन पहले ही किए जा चुके हैं । योजना/परियोजना-वार निधियां आबंटित करते समय, भारत निर्माण संघटकों सहित सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत, उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके आबंटनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
3.	13	*** भारत निर्माण के लिए आवंटन** मैं भारत निर्माण के लिए, 2006-07 में 18,696 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) की तुलना में, 2007-08 में 24,603 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। यह 31.6 प्रतिशत अधिक है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विद्युत मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय पेयजल आपूर्ति विभाग दूरसंचार विभाग जल संसाधन मंत्रालय योजना आयोग)	2007-08 के लिए भारत निर्माण के लिए निधियां आबंटित की जा चुकी हैं । 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान 26,465 करोड़ रुपए है। ***कार्रवाई पूर्ण***
4.	16	**सर्व शिक्षा अभियान** इस राशि में से, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को 10,671 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा, मैं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान 162 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। अगले वर्ष हम 200,000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे और 500,000 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करेंगे। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग)	सर्व शिक्षा अभियान हेतु 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान 13,171 करोड़ रुपए है । 31 जनवरी, 2008 तक, 9,613 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2007 तक, 67,864 अध्यापक भर्ती किए गए हैं । 208,000 अतिरिक्त कमरे निर्मित किए जा चुके हैं और 310,000 कमरों का निर्माण कार्य आखिरी चरण में है । अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान 312 करोड़ रुपए है । जिला स्तर से ऊपर मौजूदा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम को तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए उनमें प्रभावी ढंग से आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके । ***कार्य प्रगति पर***
5.	17	**मध्याहन भोजन योजना के दायरे का विस्तार** मध्याह्न भोजन योजना के लिए अगले साल 7,324 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम वर्ष 2007-08 के आरंभ में, प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को बढ़ाने के अलावा शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,427 प्रखंडों में उच्च प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव करते हैं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग)	मध्याहन भोजन योजना के लिए 2007-08 का संशोधित अनुमान 6,667 करोड़ रुपए है । इस पर 31 जनवरी, 2008 तक, 4,873 करोड़ रुपए व्यय किया गया है । 2007-08 के दौरान, शैक्षिक रुप से पिछड़े 3,479 ब्लाकों (ईबीबी) में उच्चतर प्राथमिक शिक्षा दर्जे (कक्षा VI से VIII तक) के लिए मध्याहन भोजन योजना का विस्तार 1 अक्तूबर, 2007 से प्रभावी हो गया है । इस कार्यक्रम में, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में उच्चतर प्राथमिक दर्जे में बढ़ने वाले लगभग 1.7 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को शामिल किया जाएगा । 1 अक्तूबर, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए भोजन बनाने की लागत के रूप में 423 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। ***कार्यक्रम जारी***
6.	19	**माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना** जैसे-जैसे अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उन्हें माध्यमिक शिक्षा के लिए सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। इस प्रयोजनार्थ योजनाएंबनाई जा रही हैं, और मैं माध्यमिक शिक्षा के लिए 2006-07 में किए गए 1,837 करोड़ रुपए के प्रावधान को दुगना कर 2007-08 में 3,794 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।	माध्यमिक शिक्षा हेतु 2007-08 के लिए संशोधित 1,635 करोड़ रुपए है। उच्च प्राथमिक कक्षा पूरी करने वाले बच्चों को माध्यमिक शिक्षा प्रभावी रूप से सुलभ हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है ***कार्यक्रम जारी***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
7.	20	**राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना** यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान से स्कूलों में नामांकन दर में 96 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, फिर भी स्कूल बीच में छोड़ने वालों का अनुपात अधिक बना हुआ है। कक्षा VIII से IX वीं के बीच वाले वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष प्रतीत होते हैं जब विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई बीच में छोड़नेके अनुपात को कम करने और विद्यार्थियों को कक्षा VIII के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से मैं एक राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना शुरु करने का प्रस्ताव करता हूं। आठवीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों में से राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित करके चयन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए 6000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। मैं प्रतिवर्ष 100,000 छात्रवृत्तियां दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं। इस कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए, मैं इस वर्ष, 750 करोड़ रुपए की निधि सृजित करने तथा अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष इतनी ही राशि कार्पस में और देने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक को 750 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस निधि से होने वाली आय का उपयोग छात्रवृत्तियां देने के लिए किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग)	इस योजना को कार्यान्वयन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
8.	21	**राजीव गांधी पेय जल मिशन** राजीव गांधी पेय जल मिशन के अंतर्गत दिसम्बर, 2006 तक 55,512 आवासों तथा 34000 स्कूलों को पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। अब तक इस मिशन में शामिल न की गई अथवा छूट गई बस्तियों दोनों के लिए 2007-08 हेतु अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मैं इस मिशन के वास्ते 2006-07 में किए गए 4,680 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर 2007-08 में 5,850 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग पेयजल आपूर्ति विभाग)	नवम्बर, 2007 तक 81,055 बस्तियों और 10,398 स्कूलों को पेयजल आपूर्ति मुहैया कराई गई है । इस योजना हेतु 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान 6,400 करोड़ रुपए है। इसके मुकाबले, 31 दिसम्बर, 2007 तक राज्यों को 4,523 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । ***कार्यक्रम जारी***
9.	23	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) अपने कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष अपनी समय-सीमा के अनुसार कार्य कर रहा है। जिला और निचले स्तरों पर सभी स्वास्थ्य योजनाओं के सांस्थानिक एकीकरण का कार्य कर लिया गया है। देश में सभी जिले मार्च, 2007 तक जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं बनाने का कार्य पूरा कर लेंगे। माता और बच्चे की परिचर्या तथा क्षय रोग और मलेरिया जैसी संचारी बीमारियों के निवारण एवं उपचार पर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित मासिक स्वास्थ्य दिवसों (एमएचडी) के माध्यम से टीकाकरण, प्रसव के बाद देख-रेख तथा पोषाहार एवं स्वच्छता जैसे	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान 10,169 करोड़ रुपए है। 31 जनवरी, 2008 तक वास्तविक व्यय 7,900 करोड़ रुपए हुआ है । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत समेकित कार्रवाई हेतु, जिला स्वास्थ्य कार्य योजना मुख्य रणनीति है । यह प्रत्येक परिवार में सुलभ, वहनीय और जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में वर्तमान प्रास्थिति और छूटी हुई कमियों को प्रतिबिंबित करती है । 509 से अधिक जिलों में पहली समेकित जिला स्वास्थ्य कार्य-योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और शेष जिलों को भी शामिल किया जा रहा है । आंगनबाडी केंद्रों में टीकाकरण और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु, 2007-08 में 15

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		विभिन्न कार्यक्रमों के बीच ताल-मेल रखा जाना है। (नोडल मंत्रालय/विभाग स्वास्थ्य विभाग)	लाख से अधिक ग्राम स्वास्थ्य और पोषाहार दिवसों का आयोजन किया गया। *कार्यक्रम जारी*
10.	25	**राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम** सरकार ने एचआईवी/एड्स की गोपनीयता को समाप्त किया है और इस बीमारी को शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करने के साहसिक एवं दृढ़ निश्चयी प्रयास करने का वादा किया है। यदि इस बीमारी की व्यापकता दर, जनसंख्या के 1 प्रतिशत से कम है तो इस बीमारी को नियंत्रित समझा जाएगा। 2007-08 में शुरु हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी-III) तथा एनएसीपी-I और एनएसीपी-II के निर्माण के लक्ष्य सभी राज्यों में उच्च जोखिमों वाले समूह होंगे। हम कन्डोम की सुलभता बढ़ाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी के लिए रक्त जांच और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता हो। ज्यादा अस्पतालों में एचआईवी/ एड्स के इलाज की व्यवस्था होगी जिससे यह बीमारी मां से बच्चे को न लग पाए। भारतीय डाक्टरों द्वारा विकसित तथा 2006 में शुरु की गई बाल चिकित्सा खुराक संबंधी प्रोटोकॉल के लिए, सहायता दी जाएगी। मैं, वर्ष 2007-08 के लिए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रावधान बढ़ाकर 969 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्वास्थ्य विभाग)	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान 954 करोड़ रुपए है । अब तक 748 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । 2007-08 के दौरान, रणनीतियों में अवसरंचना का विकास, प्रशिक्षण तथा लक्षित इंटरवेंशन्स शामिल हैं । 2007-08 के लिए निर्धारित किए गए कुछ परिमाणनीय लक्ष्य और दिसम्बर, 2007 तक प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार है : (तालिका नीचे) *कार्यक्रम जारी*

क्र. स.	दी जाने लायक सेवाएं	वार्षिक लक्ष्य (भौतिक)	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2007 तक)
1.	एकीकृत परामर्शी और प्रशिक्षण केन्द्र	1,518	1,339
2.	स्टाफ का प्रशिक्षण	87,000	1,24,738
3.	लक्षित इंटरवेंशंस	600	792
4.	सामुदायिक देखभाल केन्द्र	69	74
5.	जिला स्तरीय ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण	39	1

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
11.	26.	**पोलियो उन्मूलन** मैंने पिछले वर्ष यह आशा प्रकट की थी कि दिसम्बर, 2007 तक देश से पोलियो को खत्म कर दिया जाएगा। तथापि, 2006 के शुरू में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोलियो फैलने की घटना हुईथी। पोलियो उन्मूलन की कार्यनीति को संशोधित किया गया है। पोलियो वैक्सीन देने के अभियानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मोनोवॉलेन्ट वैक्सीन शुरु किया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश के 20 तथा बिहार के 10 उच्च जोखिम वाले जिलों को सघन कवरेज दिया जाएगा। कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में एकीकृत कर दिया गया है। एएसएचए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक बच्चे का पता लगाएंगे। मैं, पोलियो के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2007-08 में 1,290 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्वास्थ्य विभाग)	पोलियो को खत्म करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक है । 35 में से 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में देशी पोलियो संचरण समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में, इस रणनीति में परिवर्तन किया गया है जिससे कि मोनोवेलेन्ट टीका टाइप 1 (एमओपीवी 1) से बड़ी संख्या में पोलियो टीकाकरण अभियान चलाकर शून्य पोलियो संचरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । इस रणनीति के परिणामस्वरूप, पोलयो-वाइरस टाइप 1 (पी1) के सर्वाधिक घातक तनाव से होने वाले मामलों की संख्या में काफी गिरावट आई है। इस वर्ष टाइप 1 पोलियो के 75 मामलों की सूचना मिली है, जबकि पिछले वर्ष टाईप 1 के 648 मामलों की सूचना थी । पश्चिम उत्तर प्रदेश के रोगग्रस्त क्षेत्र ने इस वर्ष टाइप 1 पोलियो के केवल 5 मामलों की जानकारी दी है । मुरादाबाद और जे0पी0 नगर जिलों, जो 2006 में इसके फैलने के मुख्य केंद्र रहे थे, में पिछले एक वर्ष में पोलियो वाइरस टाईप 1 का एक भी मामला नहीं हुआ । चार लाख से अधिक आशा से जुड़े/सामुदायिक कार्यकर्ता घरों में संपर्क करने के काम में सक्रिय रूप से लगे हैं, बच्चों की कुल जन संख्या के 62.4 प्रतिशत का पूर्णतः टीकाकरण किया जा चुका है । *कार्यक्रम जारी*
12.	27	**एकीकृत बाल विकास सेवाएं** एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के विस्तार के द्वितीय चरण में सरकार ने 173एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं, 107,274 आंगनवाड़ी केद्रों और 25,961 लघु आंगनवाड़ी केद्रों की मंजूरी	2006-07 के दौरान, 166 परियोजनाएं स्वीकृत की गई और 107,000 आंगनबाडी केद्रों तथा 25,943 लघु -आंगनबाड़ी केद्रों की स्थापना की गई । वर्ष 2007-08 के लिए इस कार्यक्रम हेतु संशोधित अनुमान 5,398 करोड़ रुपए है ।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		दी है। ग्यारहवीं योजना के दौरान सभी बस्तियों और अधिवासों को इसमें शामिल करने और इसे गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए सरकार इस योजना के विस्तार के लिए वचनबद्ध है। मैं, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के निमित्त वर्ष 2006-07 में आवंटित 4,087 करोड़ रुपएको बढ़ाकर वर्ष 2007-08 में 4,761 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : महिला व बाल विकास मंत्रालय)	इस योजना के तीसरे चरण के विस्तार हेतु, 792 अतिरिक्त आईसीडीएस परियोजनाओं, 213,000 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों और 77,053 लघु-आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है । ***कार्यक्रम जारी***
13.	28	**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) 2 फरवरी, 2006 को आरंभ की गई थी। इसके क्रियान्वयन की गति अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मांग उप्रेरित योजना है, इसमें रोजगार की कानूनी गारंटी निहित है, अतः बजट आवंटन को आवश्यकता के अनुसार सम्पूरित करना होगा। अतः मैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए (एनईआर संघटक सहित) 12,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार वर्तमान 200 जिलों से 330 जिलों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैंने इस स्कीम के अंतर्गत शामिल न किए गए जिलों में ग्रामीण रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगारयोजना हेतु 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम को 130 अन्य जिलों के लिए अधिसूचित किया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम हेतु वर्ष 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान 12,000 करोड़ रुपए है। 31 जनवरी, 2008 तक, 10,501 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । जो जिले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की परिधि में आते हैं, वहां संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मिला दिया गया है । शेष जिलों के लिए, जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ही कवर किए जाते रहेंगे, वर्ष 2007-08 के लिए संशोधित अनुमानों में 3,800 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई, जिसमें 1,723 करोड़ रुपए का नकदी घटक और 2,077 करोड़ रुपए का खाद्यान्न घटक शामिल है । ***कार्यक्रम जारी***
14.	29	**स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना** स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) का लक्ष्य स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के बीच स्व-रोजगार का विकास करना है। मैं, वर्तमान वर्ष के 1,200 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर अगले वर्ष में 1,800 करोड़ रुपए (एनईआर संघटक सहित) करते हुए इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग)	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए 2007-08 का संशोधित अनुमान 1,800 करोड़ रुपए है । आज की तारीख तक, वस्तुतः 1,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई । 7.93 लाख स्वरोजगारियों की सहायता की गई । ***कार्रवाई पूर्ण***
15.	30	**स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना** शहरी बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन का मुद्दा समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए आवंटन 2006-07 में 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगलेवर्ष 344 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए संशोधित अनुमान 344 करोड़ रुपए हैं । आज की तारीख तक, 331 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं । व्यक्तिशः/सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए, 1.2 लाख के लक्ष्य के मुकाबले, 86,851 शहरी गरीबों की मदद की गयी है । ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
16.	31	**जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन** जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को राज्य सरकारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आज की तारीख तक कई राज्यों के अनेक शहरों में जलापूर्ति, स्वच्छता, परिवहन, सड़क और आवास जैसे क्षेत्रकों में 23,950 करोड़ रुपए की कुल लागत से 538 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मैं यह आवंटन 2006-07 में 4,595 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 4,987 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : शहरी विकास मंत्रालय)	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत आबंटन बढाया गया है । इस मिशन के यूआईजी घटक के अंतर्गत, 2007 के अंत तक, 21,960 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत वाली 254 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। प्रगति पर नजर रखी जा रही है । ***कार्यक्रम जारी***
17.	32	**लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यांकन, मानिटरिंग, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण के लिए आयोजना स्कीम** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अधीन और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों को अपरिवर्तित रखा गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यांकन, मानीटरिंग, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक आयोजना स्कीम 2007-08 में कार्यान्वित की जाएगी और इसमें पीडीएस का कम्प्यूटरीकरण और भारतीय खाद्य निगम में एक समेकित सूचना प्रणाली शामिल होगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)	भारतीय खाद्य निगम में समेकित खाद्यान्न प्रबंध सूचना प्रणाली' परियोजना कार्यान्वित की जा रही है । लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए, दो आयोजना स्कीमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है । इन दो स्कीमों हेतु आबंटन को भी अंतिम रूप दे दिया गया है । प्रशिक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की योजना हेतु, 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एनसीएईआर और आईआईपीए द्वारा साथ-साथ मूल्यांकन चल रहा है । ***कार्य प्रगति पर***
18.	35	**सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। मैं इन छात्रवृत्तियों के लिए 2006-07 के 440 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 2007-08 में 611 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ऐसी ही छात्रवृत्ति हेतु 91 करोड़ रुपए के एक अलग प्रावधान का भी प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम एक जारी स्कीम है । ग्यारहवीं योजना के दौरान इस योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ अनुमोदन दे दिया है । वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है । सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु ऐसी ही एक योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
19.	36	**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के दायरे का विस्तार** पिछले वर्ष मैंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की इक्विटीमें 16.47 करोड़ रुपए का एक छोटा सा अंशदान किया था। सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद एनएमडीएफसी को अपने दायरे का विस्तार करना होगा और अपने प्रयत्नों में तेजी लानी होगी। अतः मैं एनएमडीएफसी की शेयर पूंजी में और 63 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को किस्तों में निधियां जारी की जा रही हैं । अब तक 47 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। निगम को अपनी पहुंच का विस्तार करने और अपने प्रयासों में तेजी लाने हेतु समर्थ बनाने के लिए एक पुनर्गठन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है । ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
20.	37	**अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम** अनेक जिले अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी वाले हैं। मैं इन जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 108 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय)	अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, और 21 जून, 2007 को दिशानिर्देश जारी किए गए। आईसीएसएसआर इन जिलों का आधारभूत सर्वेक्षण कर रहा है और इसके लिए निधियां जारी की जा चुकी हैं । पहचाने गए 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 3,780 करोड़ रुपये की लागत वाले बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है । ***कार्य प्रगति पर***
21.	40	**पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई औद्योगिक नीति** पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के आबंटनों से लिया गया कुल बजट आबंटन 2007-08 में बढ़ा दिया गया है जो 2006-07 में 12,041 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 14,365 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) को दिए गए 1,380 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति को उचित राजकोषीय प्रोत्साहनों के साथ 31 मार्च, 2007 से पहले तैयार कर लिया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)	पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007 अनुमोदित कर दी गई है और इसे 1 अप्रैल, 2007 से अधिसूचित किया जा चुका है । ***कार्रवाई पूर्ण***
22.	41	**महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई पहल** अभी तक मैंने उन आबंटनों का जिक्र किया है जिनके अंतर्गत योजना क शामिल है और जिसका संसाधन बास्केट 205,100 करोड़ रुपए का है। योजना आयोग के परामर्श से मैंने योजना ख' भी तैयार की है। चूंकि ग्यारहवीं योजना 1 अप्रैल, 2007 से शुरु होगी अतः हम इस बात को समझते हैं कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई पहल करने की आवश्यकता होगी। प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने और व्यय शुरु होने पर अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। अतः मैं वर्ष के दौरान बेहतर कर प्रशासन के जरिए 7,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा। योजना आयोग ने मुझे सलाह दी है कि यह अतिरिक्त निधियां इस सदन द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, शहरी आधार संरचना और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में बांट दी जाएंगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग योजना आयोग)	वर्ष के दौरान, निम्नलिखित योजनाओं के लिए पूरक अनुदान मांगों के पहले और दूसरे बैच के जरिए आयोजना के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं : (तालिका नीचे)

क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम	राशि *(करोड़ रु.)*
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	900
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	399
3	राज्यों को ईएपी	3,800
4	डीएमआरसी को सहायता	192
5	मौसम आधारित बीमा योजना	69
6	मेट्रीकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	200
7	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	300
8	राष्ट्रमंडल खेल	75
9	एड्स नियंत्रण के लिए ईएपी	135
	जोड़	**6,070**

त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, बागानी फसलों का पुनरूद्धार कायर्कम और अन्य योजनाओं के लिए वचनबद्ध देयताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों की वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, 2007-08 की पूरक अनुदान-मांगों के अंतिम बैच में अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा ।

कार्रवाई पूर्ण

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
23.	44	**किसानों के लिए प्रारूप राष्ट्रीय कृषक नीति** राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय कृषक नीति का मसौदा विचाराधीन है। इसी बीच कृषि की	राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रारूप पर आधारित राष्ट्रीय कृषक नीति 2007, इस आयोग की मुख्य सिफारिशें

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		आर्थिक क्षमता सुधारने और उनकी न्यूनतम निवल आय सुनिश्चित करने के लिए मेरे पास अनेक प्रस्ताव हैं। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि और सहकारिता विभाग)	शामिल करने के बाद, अनुमोदित कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
24.	45	**कृषि-ऋण** कृषि-ऋण संतोषजनक गति से बढ़ता जा रहा है। कृषि-ऋण तीन वर्ष में दुगुना करने का लक्ष्य दो वर्षों में प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित 175,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य आराम से पार हो जाएगा और इसके 190,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशा है। इस वर्ष दिसम्बर, 2006 तक, 53.37 लाख नए किसानों को सांस्थानिक ऋण प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए, मैं कृषि ऋण के रूप में 225,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित करने और 50 लाख नए किसानों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	वर्ष, 2006-07 में कृषि ऋण के संवितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 175,000 करोड़ रुपये के मुकाबले, मार्च, 2007 तक 203,296 करोड़ रुपये संवितरित किए गए। 225,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण लक्ष्य की तुलना में, नवम्बर, 2007 तक 137,760 करोड़ रुपये वित्त पोषित किए जा चुके हैं। साथ ही, मौजूदा वर्ष में 50 लाख नए किसानों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लक्ष्य के मुकाबले, नवम्बर, 2007 तक 42.97 लाख नए किसानों को वित्तपोषित किया जा चुका है। ***कार्यक्रम जारी***
25.	46	**ब्याज सहायता योजना** अल्पकालिक फसल ऋणों के लिए दो प्रतिशत ब्याज सहायता स्कीम 2007-08 में जारी रहेगी और मैं इस प्रयोजन के लिए 1,677 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ष 2006-07 में खरीफ और रबी 2006-07 के लिए ब्याज सहायता हेतु 1,100 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ***कार्यक्रम जारी***
26.	47	**4 राज्यों में संकटग्रस्त जिलों के लिए विशेष योजना** देश के चार राज्यों के 31 विशेष रूप से संकटग्रस्त जिलों में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें कुल 16,979 करोड़ रुपए की धनराशि निहित है। इसमें से लगभग 12,400 करोड़ रुपए जल संबंधी कार्यक्रमों के लिए हैं। किसानों को अनुपूरक आय प्रदान करने के लिए, विशेष योजना में अधिक दूध देने वाले पशुओं के संवर्धन और संबंधित क्रियाकलापों की एक स्कीम शामिल है। मैं इस योजना के लिए 153 करोड़ रुपए प्रदान करनेका प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग वित्तीय सेवा विभाग पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन विभाग जल संसाधन विभाग)	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के संकटग्रस्त जिलों के लिए विशेष योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं : i) **विशेष पशुधन और मत्स्य पालन पैकेज** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में आत्महत्या की संभावना वाले 31 जिलों के लिए एक विशेष पशुधन और मत्स्य पालन पैकेज कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पैकेज तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2006-07 से 2008-09 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इन चार राज्यों के लिए किए गए 153 करोड़ रुपए के आबंटन में से, 31 दिसम्बर, 2007 तक, इन राज्यों को 77 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ii) **ऋण** 31 ऋणग्रस्त जिलों के संबंध में, कृषि ऋण विषयक निम्नलिखित पैकेज कार्यान्वित किया जा रहा है : • प्रभावित जिलों में 1 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार, समय पर न चुकाए गए ऋणों पर संपूर्ण ब्याज माफ कर दिया जाएगा जिससे कि सभी किसानों पर उस तारीख को कोई पिछला ब्याज-भार नहीं होगा। इससे वे बैंकिंग प्रणाली से तत्काल नया ऋण लेने के लिए पात्र हो जाएंगें।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			• 1 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार, किसानों के समय पर न चुकाए गए ऋणों की अदायगी 3-5 वर्षों की अवधि के लिए पुनः निर्धारित की जाएगी जिसमें एक वर्ष की आस्थगन अवधि होगी । • इन 31 जिलों में अतिरिक्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा । समय पर न चुकाए गए ब्याज की कुल माफी की राशि 3,728 करोड़ रुपए है अर्थात आंध्रप्रदेश में 1978 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 706 करोड़ रुपए, केरल में 219 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 825 करोड़ रुपए । सरकार ने 2,719 करोड़ रुपए की ब्याज माफी की अनुमानित राशि में से 50 प्रतिशत हिस्से के रूप में 1,359 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 505 करोड़ रुपए की शेष राशि शीघ्र जारी की जाएगी । **iii) जल संबंधी क्रियाकलाप** वर्ष 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए, त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत 885 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया । 2007-08 के दौरान, त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत इन चार राज्यों को अक्तूबर, 2007 में 255 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान जारी किया गया । ***कार्यक्रम जारी***
27.	48	**कृषि-ऋणग्रस्तता संबंधी समिति** सरकार ने ऋणग्रस्तता के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए डा. आर.राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने संपूर्ण देश में व्यापक रूप से परामर्श किए हैं और वह अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग वित्तीय सेवा विभाग)	कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और एक कार्य योजना तैयार की जा रही है । ***कार्य प्रगति पर***
28.	49	**एकीकृत तिलहन, पॉम ऑयल, दलहन और मक्का विकास कार्यक्रम का विस्तार** सरकार दालों का उत्पादन और उत्पादकता न बढ़ने के प्रति चिंतित है। एक बड़ी कमी प्रमाणित बीजों की उपलब्धता और गुणवत्ता की है। अतः मैं एकीकृत तिलहनों, पाम ऑयल, दाल और मक्का विकास कार्यक्रम के विस्तार का प्रस्ताव करता हूं। प्रजनक, मूल और प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बीज निगमों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर केंद्रों, कृभको, इफको और नाफेड तथा बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों को बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार आईआईपीआर, कानपुर के विस्तार का निधिपोषण करेगी और तीन वर्ष की अवधि में प्रमाणित बीजों का उत्पादन दुगुना करने के लिए अन्य उत्पादकों को पूंजी अनुदान या रियायती वित्तपोषण प्रदान करेगी।	प्रमुख उत्पादक राज्यों/जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-पी) के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है । 20 लाख टन अतिरिक्त दलहन का उत्पादन हासिल करने के उद्देश्य से, एनएफएसएम-पी के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो या अधिक फसलें एक साथ उगा कर 2,470,000 हेक्टेयर क्षेत्र और प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में धान की फसल के बाद परती भूमि का उपयोग करके (रबी में) और 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है । एनएफएसएम-दलहन को 14 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के 168 चिह्नित जिलों में रबी 2008-09 से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है । भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर ने दलहनों के प्रजनक बीज का उत्पादन, 2007-08 में उत्पादित 9220 क्विंटल से दुगुना कर 2011-12 तक 18,660 क्विंटल करने का प्रस्ताव किया है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी संस्थाओं और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में मूल और प्रजनक बीज उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करता और सुविधाएं जुटाता रहेगा । वर्ष 2006-07 के

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		(नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि एवं सहकारिता विभाग)	दौरान, दलहन की उन्नत किस्मों का 9,320.17 क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया है । खरीफ और रबी 2007 के दौरान पैदा किए जाने वाले खरीफ और रबी दलहनों की फसलों का इन्डेट, संबंधित फसल समन्वयकर्ताओं को प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भेजा गया था । भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर के विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा । ***कार्यक्रम जारी***
29.	50	**कॉफी,रबर,मसाले, काजू और नारियल के लिए विशेष प्रयोजनी निधियां** चाय पौध पुनः लगाने और उसे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रयोजनी चाय निधि शुरु की गई है। सरकार कॉफी, रबर, मसालों, काजू और नारियल के लिए इसी प्रकार की वित्तीय कार्यप्रणाली शीघ्र स्थापित करेगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग वाणिज्य विभाग कृषि एवं सहकारिता विभाग)	कॉफी के लिए 310 करोड़ रुपए, रबड के लिए 240 करोड़ रुपए और इलाइची के लिए 122 करोड़ रुपए हेतु, विशेष प्रयोजन निधि की स्थापना की गयी है। काजू, काली मिर्च एवं नारियल की पैदावार बढ़ाने के कार्यक्रम भी, क्रमशः राष्ट्रीय बागवानी मिशन और नारियल विकास बोर्ड के अधीन शुरु किए जा रहे हैं। ***कार्य प्रगति पर***
30.	51	**त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम** शीघ्रतम संभावित समय में अधिक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का पुनर्सुदृढ़ीकरण किया गया है। वर्ष 2006-07 में 35 परियोजनाओं के पूरा होने की आशा है और 900,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा। वर्ष 2006-07 में 7,121 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 2007-08 के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। इसमें से राज्य सरकारों के लिए अनुदान का हिस्सा 3,580 करोड़ रुपए होगा, जो 2,350 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ा दिया गया है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : जल संसाधन मंत्रालय)	वर्ष 2006-07 के दौरान त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से, 900,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के मुकाबले, 940,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई । 2006-07 के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता से कुल 29 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और 512 लघु सिंचाई योजनाएं पूरी की गईं। ***कार्यक्रम जारी***
31.	52	**वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम** जल संभरण विकास और भूमि उपयोग के अन्य पहलुओं से संबंधित सभी स्कीमों के समन्वय हेतु कुछ महीने पहले राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। मैं नए वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव रखता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि एवं सहकारिता विभाग)	नए वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है । ***कार्यक्रम जारी***
32.	53	**जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण, पुनर्भरण संबंधी प्रायोगिक परियोजनाएं** माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च, 2005 में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली के लिए 13 राज्यों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि विश्व बैंक ने 400,000 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र वाले 5,763 जल निकायों की बहाली हेतु तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश में 2.5 लाख हेक्टेयर कृषि-योजना कमान क्षेत्र वाले 3,000 जल निकायों की बहाली के लिए 835 करोड़ रुपए की सहायता के करार पर विश्व बैंक के साथ जून, 2007 में हस्ताक्षर किए गए । कर्नाटक में 1,225 जल निकायों की बहाली के लिए 259 करोड़ रुपए की सहायता हेतु इसी प्रकार की परियोजना पर 2 नवम्बर, 2007 को हस्ताक्षर किए गए । विश्व बैंक द्वारा उडीसा

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		के साथ 2,182 करोड़ रुपए के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए एक करार का निष्पादन मार्च, 2007 में किए जाने की आशा है और इसके अंतर्गत250,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र के साथ 3,000 जल निकाय शामिल होंगे। कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए ऐसी ही परियोजनाएं तैयार करने का कार्य विभिन्न स्तरों पर है और जून,2007 से पहले कम से कम दो और करार पूरे करने की आशा है। मैं अन्य राज्य सरकारों से प्रस्तावों के साथ आगे आने का आग्रह करता हूं ताकि अगले दो वर्षों में संपूर्ण देश को इसमें शामिल किया जा सके। (नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन विभाग)	परियोजना की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा पश्चिम बंगाल परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है । तालाब प्रबंध और जल निकायों की बहाली के लिए इसी प्रकार की परियोजना तैयार करने हेतु अन्य राज्यों को प्रेरित किया जा रहा है । ***कार्यक्रम जारी***
33.	54	**भूमिगत जल रिचार्ज** भूमिगत जल स्रोत का रिक्त होते जाना गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने देश में अति उपयोग' या संकटपूर्ण' के रूप में 1,065 आकलन ब्लाकों की पहचान की है। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक ब्लाक सात राज्यों के 100 जिलों में हैं। भूमि जल पुनर्भरण की कार्य योजना वर्षा जल को डग वैल' में परिवर्तित करने की है। प्रत्येक ढांचे की लागत लगभग 4,000 रुपए होगी। छोटे और मझोले किसानों की भूमि पर बने लगभग दो मिलियन कुओं सहित यह आवश्यकता सात मिलियन कुओं की है। मैं छोटे व मझोले किसानों के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी और अन्य किसानों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव करता हूं। जल संसाधन मंत्रालय शीघ्र ही स्कीम को अंतिम रूप देगा। इस आशा में, नाबार्ड को 1,800 करोड़ रुपए की धनराशि अंतरित करने का मेरा इरादा है। इस धनराशि को निलंब में रखा जाएगा और लाभार्थियों को संबंधित जिले के अग्रणी बैंक के माध्यम से वितरित किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : जल संसाधन विभाग)	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में मुख्यतः कठोर चट्टानी क्षेत्रों में पड़ने वाले 1,180 अति-दोहन वाले, संकटपूर्ण और अर्द्ध-संकटपूर्ण प्रखण्डों में समूहन आधारित योजना को जनवरी, 2008 में मंजूरी दी गई है । ***कार्रवाई पूर्ण***
34.	55	**वाटर हार्वेस्टिंग के शिक्षण-सह-प्रदर्शन मॉडल की स्थापना** थोड़े से शिक्षण और प्रशिक्षण से हमारे किसान अच्छी जल प्रबंधन पद्धतियों को आसानी से सीख लेंगे। अतः मैं प्रस्ताव रखता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) प्रत्येक 32 चुने गए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों में एक शिक्षण-सह-प्रदर्शन जल उपयोग मॉडल स्थापित करे। प्रत्येक संस्थान प्रतिवर्ष 100 प्रशिक्षकों और 1,000 किसानों को क्रमशः दो सप्ताह और एक सप्ताह के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देगा। आवर्ती लागतों के अनुमानों के आधार पर, मेरा एक कार्पस निधि के सृजन के लिए प्रत्येक संस्था को 3 करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण प्रदान करने का इरादा है। इस निधि से प्राप्त आय का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए किया जाएगा। कुल लागत 100	''शिक्षण-सह-प्रदर्शन, प्रशिक्षकों और किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका के लिए कृषि में जल प्रबंधन की बेहतर तकनीकों को प्रोत्साहित करना'' नामक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है । ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करोड़ रुपए होने का अनुमान है। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग)	
35.	56	**प्रसार प्रणाली को पुनर्जीवित करना** 1960 के दशक की हरित क्रांति हमारे हजारों कृषि विस्तार कर्मचारियों द्वारा लाई गई थी जिन्होंने प्रशिक्षण एवं दौरा (टी एंड वी) नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे किसानों के साथ कार्य किया। खेद है कि यह विस्तार प्रणाली निप्राण हो चुकी प्रतीत होती है। विस्तार कार्य को जीवित करने के लिए कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों के परामर्श से एक नया कार्यक्रम तैयार करेगा जो उचित परिवर्तनों के साथ प्रशिक्षण एवं दौरा कार्यक्रम की अनुकृति तैयार करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता विभाग)	राज्यों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श के आधार पर, पुनर्जीवित प्रसार प्रणाली में नए कार्यक्रम संबंधी तंत्र शामिल किए गए हैं । अनेक मौजूदा तंत्रों को सुदृढ़ किया गया है, कार्यान्वयन तंत्र में सुधार लाया गया है तथा अधिक प्रशासनिक सहायता प्रदान की गई है । ***कार्रवाई पूर्ण***
36.	57	**कृषि का औद्योगिक प्रबंध एजेंसी** कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी (एटीएमए), जो अब 262 जिलों में चल रही है, का विस्तार 2007-08 में अन्य 300 जिलों में किया जाएगा। मैं एटीएमए के लिए प्रावधान 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 230 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता विभाग)	2007-08 के लिए 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य विस्तार कार्य योजना 2007-08 को मंजूरी दी गई है । अब तक 25 राज्यों को शामिल करते हुए 305 अतिरिक्त जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेन्सी योजना का विस्तार करने के लिए मंजूरी दी गई है । 305 अतिरिक्त जिलों में से, 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार, 282 जिलों में ये एजेन्सियां गठित की गई हैं । ***कार्यक्रम जारी***
37.	58	**उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों को देने के लिए वैकल्पिक पद्धति** मैंने 2006-07 में उर्वरक सब्सिडियों के लिए 17,253 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की थी। संशोधित अनुमानों के अनुसार यह बढ़कर 22,453 करोड़ रुपए हो जाएगी और अधिक धनकी मांग है। जहां उर्वरकों को वास्तव में सब्सिडी दी जानी चाहिए वहां हमें सीधे ही किसानों को सब्सिडी देने की वैकल्पिक पद्धति का पता लगाना चाहिए। उर्वरक उद्योग इस संबंध में उर्वरक विभाग के साथ अध्ययन करने और समाधान ढूंढने के लिए सहमत है। इस रिपोर्ट के आधार पर, सरकार का इरादा 2007-08 में प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले में पायलट कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है। (नोडल मंत्रालय/विभागः उर्वरक विभाग)	उर्वरक सब्सिडी सीधे किसान को देने की वैकल्पिक पद्धति की व्यवस्था करने के तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं । मंत्रियों के दल द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की गई है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है । ***कार्य प्रगति पर***
38.	59	**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना** राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) अपने वर्तमान रूप में वर्ष 2007-08 की खरीफ और रबी के लिए जारी रहेगी। मैं इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग कृषि एवं सहकारिता विभाग)	खरीफ 2007 सीजन के दौरान, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासनिक अनुदेश जारी किए गए हैं । ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति

39. 60 **मौसम आधारित फसल बीमा योजना**

कृषि बीमा निगम (एआईसी) खरीफ, 2004 से एक पायलट मौसम बीमा योजना चलाता आ रहा है और यह जोखिम कम करने की एक अधिक आशाजनक योजना प्रतीत होती है। अतः सरकार एनएआईएस के विकल्प के रूप में संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से दो या तीन राज्यों में पायलट आधार पर मौसम आधारित एक बीमा योजना शुरू करने के लिए एआईसी से कहेगी। इस योजना को सब्सिडी के साथ बीमांकिक आधार पर संचालित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए मेरा इरादा 2007-08 में 100 करोड़ रुपए आबंटित करने का है।

(नोडल मंत्रालय/विभाग :
कृषि एवं सहकारिता विभाग
वित्तीय सेवा विभाग)

कृषि बीमा निगम ने कर्नाटक में खरीफ 2007 मौसम के दौरान, 70 हाब्लिसों (राज्य में कुल 770 होब्लिस हैं) तथा आठ वर्षा-सिंचित फसलों को समाविष्ट करते हुए, वर्षा आधारित एक प्रायोगिक योजना शुरू की है । यह समावेश इस प्रकार है :

राज्य	किसानों की सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर)	बीमाकृत राशि (लाख रु.)	प्रीमियम (लाख रु.)
कर्नाटक	44,480	50,077	53,011	703

इस वर्षा आधारित फसल बीमा योजना को चल रहे रबी मौसम के दौरान अधिक व्यापक ढंग से शुरू किया गया है । जिन राज्यों ने रबी 2007-08 मौसम के दौरान इस प्रायोगिक योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की है वे हैं- राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ । आज की तिथि के अनुसार, समावेश की स्थिति इस प्रकार है :

राज्य	किसानों की सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर)	बीमाकृत राशि (लाख रु.)	प्रीमियम (लाख रु.)
राजस्थान	531,626	830,011	144,216	11,606
बिहार	7,108	8,126	1,441	88
छत्तीसगढ़	966	2,395	369	30
म. प्रदेश	9,235	12,767	3,474	329
कुल	**548,935**	**853,299**	**149,500**	**12,053**

कार्यक्रम जारी

40. 61 **नाबार्ड को ग्रामीण बांड जारी करने की अनुमति देना**

नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है। कृषि ऋणों की मात्रा बढ़ने औरग्रामीण ऋण सहकारिता सुधार संबंधी वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से पुनर्वित्तकी मांग बढ़ेगी। इसके संसाधन बढ़ाने के लिए मैं 5,000 करोड़ रुपए तक के ग्रामीण बांड जारी करने की नाबार्ड को स्वीकृति देने का प्रस्ताव रखता हूं। इन बांडों पर सरकारी गारंटी दी जाएगी और यह उचित कर छूट के योग्य होंगे।

(नोडल मंत्रालय/विभाग :
वित्तीय सेवा विभाग)

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ग्रामीण बॉंड, आयकर अधिनियम की धारा 80ग में शामिल किए गए हैं । राजस्व विभाग ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि के इन बॉंडों को अधिसूचित किया है । नाबार्ड ने जन साधारण के लिए इन बाण्डों का 26 जनवरी, 2008 को प्रस्ताव किया है ।

कार्रवाई पूर्ण

41. 62 **ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि**

ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) राज्य सरकारों को निधियों की स्वीकृति और वितरण करती है। वर्ष 2006-07 में नाबार्ड ने 10,000 करोड़ रुपए के कार्पस मेंसे अभी तक 8,440 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं और यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इन निधियों के लिए बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए मैं 2007-08 में आरआईडीएफ-XIII के कार्पस को बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं

12,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि XIII का राज्यवार आबंटन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया गया है ।

कार्रवाई पूर्ण

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		राज्य सरकारों सेअनुरोध करूंगा कि वह इन निधियों का, मुख्यतः राज्य के संकटग्रस्त जिलों में उपयोग करें। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	
42.	63	**आरआईडीएफ के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए पृथक विंडो** आरआईडीएफ के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि से एक अलग विंडो खोली गई थी। इसमें से 2006-07 के लिए 2,311 करोड़ रुपए की परियोजनाएंस्वीकृत की गई हैं। मैं 2007-08 में आरआईडीएफ-XIII के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए के कार्पसके साथ अलग विंडो जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास विभाग वित्तीय सेवा विभाग)	नाबार्ड ने बैंकों को उनके द्वारा ग्रामीण सड़को के लिए 4,000 करोड़ रुपए के पृथक विंडों के लिए प्रदान की जाने वाली निधियों के बारे में सूचित किया है । आज की तारीख तक 2,707 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है । ***कार्रवाई पूर्ण***
43.	64	**आम आदमी बीमा योजना** राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में की गई एक वचनबद्धता यह थी कि सरकार असंगठित कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। डा. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। निर्णय लिए जाने तक असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की चिंता को प्रदर्शित करते हुए मैं एक शुरूआत करने का प्रस्ताव रखता हूं। 'आम आदमी बीमा योजना' (एएबीवाई) नामक एक नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए भारतीय जीवन बिमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से मृत्यु एवं विकलांगता बीमा कवर के विस्तार का मैं प्रस्ताव करता हूं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) की रिपोर्ट संख्या 491 के अनुसार ऐसे परिवारों की अनुमानित संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। मार्च, 2007 के अंत तक 70लाख परिवार कुछ राज्य सरकारों और एलआईसी की सामाजिक सुरक्षा निधि की सहायता स`एलआईसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शामिल कर लिए जाएंगे। एएबीवाई के अंतर्गत मैं ऐसे ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्हें अभी तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है और यह संख्या उससे अधिक हो सकती है जिसका उल्लेख एनएसएस की रिपोर्ट में किया गया है। परिवार के मुखिया या परिवार के एक कमाऊ सदस्य का बीमा किया जाएगा। केद्र सरकार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 200 रुपए की किस्त का 50 प्रतिशत वहन करेगी और मैं, राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वह लाभार्थियों की ओर से शेष 50 प्रतिशत वहन करने के लिए आगे आएं। केद्रीय सरकार द्वारा वहन की जाने वाली वार्षिक लागत को ध्यान में रखते हुए, मैं, एक निधि में 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि रखने का प्रस्ताव करता हूं जिसकी देखभाल एलआईसी द्वारा की जाएगी।	आम आदमी बीमा योजना 2 अक्तूबर, 2007 को आरंभ की गई । यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से क्रियान्वित की जाएगी। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		मैं राज्य सरकारों के परामर्श से इस स्कीम को अंतिम रूप से तैयार करने और 2007-08 में इसका कार्यान्वयन शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	
44.	67	**केद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को इक्विटी सहायता और ऋण** केद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के माध्यमसे, 2007-08 में 165,053 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। सरकार सीपीएसई को 16,361 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता और 2,970 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान करेगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : योजना आयोग)	सार्वजनिक क्षेत्र के केद्रीय उपक्रमों के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के संबंध में संशोधित अनुमान निर्धारण करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और यह 165,053 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से अधिक हो गया है । ***कार्रवाई पूर्ण***
45.	70	**अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं** विद्युत मंत्रालय ने सासन और मुद्रा में दो अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) का निष्पादन किया है। सात और ऐसी परियोजनाओं पर कार्रवाई चल रही है और हमें भरोसा है कि कम से कम दो का निष्पादन जुलाई, 2007 तक शुरू हो जाएगा। विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई अन्य पहलों में शामिल हैं- प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा मर्चेन्ट पावर प्लांट्स की स्थापना की सहायता और पारेषण परियोजनाओं में निजी भागीदारी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विद्युत मंत्रालय)	दो अति विशाल विद्युत परियोजनाएं - गुजरात में मुद्रा और मध्य प्रदेश में सासन कार्यान्वित की जा रही हैं । कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) अति विशाल विद्युत परियोजना के संबंध में, सफल बोलीदाता को आशयपत्र जारी कर दिया गया है। तिल्लैया (झारखंड) परियोजना के संबंध में निविदा की प्रक्रिया चल रही है। केद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अकालतारा (छत्तीसगढ़), गिरये (महाराष्ट्र), तादड़ी (कर्नाटक), चेय्युर (तमिलनाडु) और इव घाटी (उड़ीसा) में पांच अन्य उपयुक्त स्थलों की पहचान की गई है। मर्चेंट पावर प्लान्टस के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु मेगा पावर पालिसी में संशोधन करने पर विचार चल रहा है। मर्चेंट पावर संयत्रों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं : • विद्युत अधिनियम, 2003 में ट्रांसमिशन में खुली पहुंच लागू की गई है । • वितरण में, राज्य विद्युत नियामक परिषदों द्वारा चरणबद्ध तरीके से खुली पहुंच लागू की जानी है । • एक मेगावाट से अधिक आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं के लिए, खुली पहुंच जनवरी, 2009 से अनिवार्य कर दी जाएगी। पारेषण परियोजनाओं में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु, भारत सरकार ने (i) पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने, और (ii) पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली लगाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं । इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने एक सशक्त समिति बनाई है । इस समिति ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकास की 14 पारेषण परियोजनाओं की पहचान की है । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम प्रतिस्पर्धी बोली को संचालित करने और सशक्त समिति के पर्यवेक्षण में विकासकर्ताओं का चयन करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करेंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम ने चार परियोजनाओं के लिए हित अभिव्यक्ति आमंत्रित की हैं । ***कार्यक्रम जारी***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
46.	71	**त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार परियोजना** इसके अलावा, त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार परियोजना (एपीडीआरपी) ने 213 नगरों में संपूर्ण तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीसी) नुकसानों को काफी कम किया है। 50,000 से अधिक की आबादी वाले सभी जिला मुख्यालयों और नगरों को शामिल करने के लिये एपीडीआरपीका पुनर्गठन किया जा रहा है। मैं एपीडीआरपी के लिये बजटीय सहायता, 2006-07 में 650 करोड़ रुपए की तुलना में अगले वर्ष बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विद्युत मंत्रालय)	त्वरित विद्युत विकास और सुधार परियोजना के पुनर्गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है । ***कार्य प्रगति पर***
47.	72	**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना** राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन की गति और वार्षिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मैं इसका आवंटन 2006-07 में 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में3,983 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विद्युत मंत्रालय)	वर्ष 2007-08 के लिए इस योजना हेतु संशोधित अनुमान 3,945 करोड़ रुपए हैं । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन 44,216 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है । 24,394 विद्युतीकृत गांवों को भी सघन विद्युतीकरण के लिए शामिल किया गया है । आज की तारीख तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 1,741,886 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं । ***कार्रवाई पूर्ण***
48.	73	**कोयले के निर्दिष्ट अंतिम उपयोग की परिभाषा में विस्तार** पिछले वर्ष की घोषणा के बाद, 8,581 मिलियन टन के आरक्षित भंडारों के 26 कोयला ब्लाकों और 755 मिलियन टन आरक्षित भंडारों वाले चार लिग्नाइट ब्लाकों को दिसम्बर, 2006तक सरकारी कंपनियों और अनुमोदित अंतिम प्रयोक्ताओं को आवंटित किया गया है। विनिर्दिष्ट अन्तिम उपयोग की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा ताकि उसमें भूमिगत कोयले से गैस बननेऔर कोयला द्रवीकरण को शामिल किया जा सके। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कोयला मंत्रालय)	वर्ष 2006-07 के दौरान, 9,058 मिलियन टन के आरक्षित भण्डार वाले 34 कोयला प्रखण्ड़ों तथा 897 मिलियन टन के आरक्षित भण्डार वाले दस लिग्नाइट प्रखंडों को आबंटित किया गया है । पश्च-भाग प्रयोक्ता की परिभाषा में विस्तार हेतु, भूमिगत कोयला गैसीकरण और कोयला द्रवीकरण को पश्च-भाग प्रयोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करने संबंधी अधिसूचना 12 जुलाई, 2007 को जारी कर दी गई है । ***कार्रवाई पूर्ण***
49.	74	**राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम** स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कार्य लगभग समाप्ति पर है और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिममार्ग परियोजना में काफी अधिक प्रगति हुई है। इसके 2009 तक पूरा होने की सम्भावना है। एनएचडीपी-III, एनएचडीपी-V और एनएचडीपी-VI की आयोजना अथवा कार्यान्वयन की दिशा मेंकाफी प्रगति हो चुकी है। अब तक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने व्यवहार्यता अन्तरनिधिपोषण के रूप में 2,072 करोड़ रुपए दिए हैं परन्तु इसे ऋणात्मक अनुदान के रूप में 1,900करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अधीन बढ़ाया गया निजी क्षेत्रका निवेश 25,366 करोड़ रुपए है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) के अधीन,2006-07 में 450 किलोमीटर के	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निजी क्षेत्र का निवेश दिसम्बर, 2007 तक 29,722 करोड़ रुपये था । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नवम्बर, 2007 तक 3,295 करोड़ रुपये व्यवहार्यता अंतर निधियन के रूप में दिए हैं और 1,920 करोड़ रुपये ऋणात्मक अनुदान के रूप में प्राप्त किये हैं । 2007-08 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम संबंधी संशोधित अनुमान 8,761 करोड़ रुपए और एसएआरडीपीएनई के लिए संशोधित अनुमान 710 करोड़ रुपए था ।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति

निर्माण का काम दिया जा चुका है और शेष कार्य 2007-08में दिया जाएगा। मैं आगामी वर्ष में राजमार्ग विकास प्राधिकरण के लिए प्रावधान 2006-07में 9,945 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,667 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

(नोडल मंत्रालय/विभागः
सड़क परिवहन विभाग)

क. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रगति

क्र. सं.	एनएचडीपी घटक	पूर्ण निर्मित लंबाई (कि.मी.)	काम चल रहा है	सिविल निर्माण हेतु शेष लंबाई
1.	स्वर्णिम चतुर्भुज	5,634	212	शून्य
2.	उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम मार्ग	1,635	4,686	821
3.	बंदरगाह संपर्क	166	208	6
4.	अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग	337	605	20
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण-III	295	1,780	10,034
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण-V	शून्य	148	6,352

ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम
पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को दो चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 'क' में 2,304 कि.मी. लंबाई शामिल है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की 588 कि.मी. लंबाई को *बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो* (वार्षिक) आधार पर 2/4 लेन वाला बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिदेशित किया गया है । सड़क परिवहन विभाग 2007-08 के दौरान, पूर्वोत्तर हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम संबंधी निर्माण कार्य के लिए 700 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, जिसमें से 31.12.2007 तक लगभग 209 करोड़ रुपये उपयोग किए जा चुके हैं । चरण ख के अंतर्गत, 6,433 कि.मी. सड़क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को अनुमोदन दे दिया गया है ।

कार्यक्रम जारी

50. 75 **राष्ट्रीय सड़क/रेल परियोजना**
मुंगेर, बिहार में गंगा पर सड़क-सह-रेल पुल का निर्माण कार्य एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इसी तरह बोगीवील, असम में ब्रहमपुत्र पर सड़क-सह-रेल पुल कानिर्माण-कार्य एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा।

(नोडल मंत्रालय/विभाग :
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
रेल मंत्रालय)

बोगीबील, असम में ब्रह्मपुत्र पर सड़क-सह-रेल पुल
बोगीबील, असम में ब्रह्मपुत्र पर सड़क-सह-रेल पुल के प्रस्ताव को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अनुमोदन दे दिया गया है । इसका 25% निधियन रेलवे अपनी सकल बजटीय सहायता में से करेगा और शेष 75% सकल बजटीय सहायता अतिरिक्त सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी । सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग सड़क पुल तक पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण करेगा । सड़क पुल तक पहुंचने वाले मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसे मार्च, 2008 तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है।

मुंगेर, बिहार में सड़क-सह-रेल पुल
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मुंगेर रेल-सह-सड़क पुल परियोजना के सड़क वाले हिस्से के लिए 392 करोड़ रुपये की परियोजना विशिष्ट निधियां उपलब्ध करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है । मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के सड़क वाले हिस्से के लिए रेल मंत्रालय को 120 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

कार्यक्रम जारी

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
51.	76	**सरकारी निजी भागीदारी और व्यवहार्यता अंतर निधिपोषण** सरकारी निजी भागीदारी मॉडल से आधारभूत ढांचे के निर्माण और रख-रखाव में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी लाई जा सकी है। अब तक व्यवहार्यता अंतर निधिपोषण योजना के अधीन37 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 21 प्रस्तावों को सिद्धान्ततः' मंजूरी दी जा चुकी है जिसकी कुलपरियोजना लागत 9,842 करोड़ रुपए है और इसमें 2,521 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यवहार्यताअंतर निधिपोषण है। गति धीमी है और बैंकग्राह्य परियोजनाओं का सूचीपत्र तैयार करने के लिएअधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए पेशकिया जा सके। क्षमता निर्माण और परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए पहले उठाए गए कदमों के अतिरिक्त परियोजना तैयार करने में शीघ्रता लाने के लिए मेरा 100 करोड़ रुपए की मूल निधि(कार्पस) से एक परिक्रामी निधि की स्थापना करने का इरादा है। इस निधि से ब्याज रहित ऋणके रूप में, जिसे अंततः सफल निविदाकार से वसूल किया जाएगा, आरम्भिक व्यय के 75 प्रतिशत तक का अंशदान किया जाएगा। निधि को प्रचालित करने संबधी दिशा निर्देशों की घोषणा यथासमयकी जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	''भारत आधारभूत संरचना परियोजना विकास निधि स्कीम'' हेतु अधिसूचना और संबंधित दिशानिर्देश 5 दिसम्बर, 2007 को जारी किए जा चुके हैं । ***कार्रवाई पूर्ण***
52.	78	**एकीकृत वस्त्रोद्योग पार्क योजना** पुनः सुदृढ़ीकृत वस्त्र उद्योग वैश्विक चुनौती का सामना करने को तत्पर है। एकीकृतवस्त्रोद्योग पार्कों की योजना के अधीन स्वीकृत 30 पार्कों में से अब तक 26 पार्कों को मंजूरी दीजा चुकी है। मैं इन पार्कों के लिए 2006-07 में किये गए 189 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 2007-08 में 425 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः वस्त्र मंत्रालय)	30 एकीकृत वस्त्रोद्योग पार्कों के विकास हेतु परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है । इन पार्कों की अनुमानित परियोजना लागत 2,893 करोड़ रुपये है, जिसमें से भारत सरकार 1,055 करोड़ रुपये की सहायता देगी । अब तक, इन परियोजनाओं के लिए 239 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है जबकि 2007-08 के बजट में इसके लिए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रावधान सहित) 450 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे । इन पार्कों में अनुमानित निवेश 15,285 करोड़ रुपये हैं और 5.45 लाख व्यक्तियों (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) को रोजगार मिलने की संभावना है । इन परियोजनाओं के मार्च, 2009 तक पूरा होने की आशा है, हालांकि इन पार्कों में कुछ इकाइयों में पहले ही कार्य आरंभ हो चुका है । ***कार्यक्रम जारी***
53.	79	**प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि** मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.)योजना ग्यारहवीं योजना अवधि में जारी रखी जाएगी। 2006-07 में 535 करोड़ रुपए के प्रावधान कीतुलना में 2007-08 में 911 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। पहले कीतरह, हथकरघा क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वस्त्र मंत्रालय)	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम हेतु 2007-08 के लिए किया गया संपूर्ण बजट प्रावधान 911 करोड़ रुपये जारी किया जा चुका है । वस्त्र उद्योग से परामर्श कर 1 नवंबर, 2007 से संशोधित योजना अनुमोदित कर दी गई है । ***कार्रवाई पूर्ण***
54.	80	**हथकरघा क्षेत्र के लिए आवंटन वृद्धि** हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए 2005-06 में एक	• हथकरघा सेक्टर के लिए 2007-08 हेतु संशोधित अनुमान

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		समूहन (क्लस्टर) नीति आरम्भ की गईथी और 120 समूहों का चयन किया गया है। वर्तमान वर्ष में 273 नए धागा डिपो खोले गए हैं और हथकरघा मार्क आरम्भ किया गया। सरकार का 2007-08 में 100-150 अतिरिक्त समूहोंको जिम्मे लेने का प्रस्ताव है। अब कार्यान्वित की जा रही 12 स्कीमों को ग्यारहवीं योजना अवधि में पांच स्कीमों में समूहीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 300,000बुनकरों को लाया गया है और इसके अंतर्गत और अधिक बुनकरों को लाया जाएगा। इस योजना में अनुषंगी कामगारों को शामिल करने के लिए भी इसका विस्तार किया जाएगा। मैं इस सेक्टरके लिए 2006-07 में आवंटित 241 करोड़ रुपए की धनराशि बढ़ाकर अगले वर्ष 321 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः वस्त्र मंत्रालय)	370 करोड़ रुपए (आयोजना)ा की राशि निर्धारित की गई है । इसमें उत्तर-पूर्व के लिए 63 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल हैं । • समूहन संबंधी कार्य एकीकृत हथकरघा विकास योजना 26 नवम्बर, 2007 को अनुमोदित की गई। 2006-07 के 100 समूहों और 2007-08 के 150 समूहों के लिए कार्य-योजना तैयार की जा चुकी है । दूसरे व तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 127 समूह विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गईं हैं और आज की तारीख तक 18.45 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । • धागा डिपो 25 दिसम्बर, 2007 तक 659 धागा डिपो स्थापित किए जा चुके हैं। • हथकरघा मार्क 31 दिसम्बर, 2007 तक 3,275 इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी हैं और 64.48 लाख लेबल वितरित किए जा चुके हैं । 544 शोरूम हथकरघा मार्क लेबल वाले हथकरघा उत्पाद बेच रहे हैं । • मौजूदा स्कीमों का 5 स्कीमों में पुनर्समूहन ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम, विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम, मिल गेट मूल्य स्कीम, बुनकर समग्र कल्याण स्कीम और विविधीकृत हथकरघा विकास स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। • स्वास्थ्य बीमा का विस्तार स्वास्थ्य बीमा योजना और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के घटकों वाली हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना 1 अक्टूबर, 2007 को अनुमोदित की गई और सहायक श्रमिकों को इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए इसका व्याप्ति क्षेत्र बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना यह योजना न केवल बुनकरों को बल्कि उनकी पत्नी और दो बच्चों को भी कवर करेगी । इसके अंतर्गत सभी पहले से मौजूद रोगों के साथ-साथ नई बीमारियों को भी कवर किया गया है । 2007-08 में इस योजना के अंतर्गत, 17.74 लाख बुनकरों के लक्ष्य की तुलना में, दिसम्बर, 2007 तक 8.50 लाख बुनकरों को कवर कर लिया गया है । 68 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है । महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना यह योजना स्वाभाविक व आकस्मिक दोनों प्रकार की मृत्यु कवर करती है । इसका फायदा पति और पत्नी एवं दो बच्चों को ही मिलेगा । वर्ष, 2007-08 के दौरान 10 लाख बुनकरों को इसका फायदा पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन दिसम्बर, 2007 तक ही 80,739 लाख बुनकर कवर किए जा चुके हैं । 13 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं । ***कार्यक्रम जारी***
55.	81	**बेंकों द्वारा ब्याजदर निर्धारित करते समय एसएमई की क्रेडिट रेटिंग पर विचार** लघु और मझोले उद्यमों (एसएमई) के लिए अगस्त 2005 में घोषित ऋण नीति के बाद, इस क्षेत्रक के लिए बकाया ऋण दिसम्बर 2005 के अंत में 135,200	सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपनी सभी शाखाओं को ब्याज दर का निर्धारण करते समय, लघु एवं मझोले उद्यम की हासिल क्रेडिट रेटिंग पर विचार करने के विषय

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करोड़ रुपए से बढ़कर दिसम्बर 2006 के अंत में 173,460 करोड़ रुपए हो गया। बैंकों को इन उद्यमों के लिए और अधिक ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, मेरा बैंकों से ब्याज दर का निर्धारण करते समय किसी लघु और मझोले उद्यम द्वारा हासिल क्रेडिट रेटिंग को ध्यान में रखने के लिए कहने का प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग)	में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं ***कार्रवाई पूर्ण***
56.	82	**नारियल जटा उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना** उन्नयन हेतु स्कीम की प्रौद्योगिकी नारियल जटा एक पारिस्थिति की अनुकूल फाइबर है। नारियल जटा उद्योग बड़ी संख्या मेंलोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। मुझे नारियल जटा उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक स्कीम की घोषणा करते हुए प्रसन्नता है जिसमें प्रमुख नारियल जटा उत्पादक राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक,तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा पर विशेष जोर दिया जाएगा। मैं 22.50 करोड़ रुपए का प्रावधानकरने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : माइक्रो लघु, और मध्यम उद्यम मंत्रालय)	नारियल जटा उद्योग के पुनरूत्थान, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन नामक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है । इस प्रस्तावित योजना की कुल परियोजना लागत 243 करोड़ रुपये है, जिसमें 99 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से 132 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण और हिताधिकारी अंशदान 12 करोड़ रुपये है । **कार्रवाई पूर्ण**
57.	85	**बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में की गई पहलें** संसद के समक्ष महत्वपूर्ण वैधानिक उपायों के अलावा सरकार का बैंकिंग और बीमा के क्षेत्रमें अनेक पहलें करने का प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवाएं विभाग)	संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है और यह राष्ट्रपति की सहमति के बाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है और इस प्रकार अधिनियम बन गया है । (i) बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक; (ii) भारतीय स्टेट बैंक संशोधन विधेयक; और (iii) माइक्रो वित्तीय सेक्टर (विकास और विनियमन) विधेयक संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के विभिन्न चरणों में हैं । विधि आयोग/केपीएन समिति और बीमा और विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) की सिफारिशों के आधार पर, बीमा कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है । तदनुसार, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2006 के विषय में मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार करके मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की गयी थी। मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को विचार-विमर्श के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) के पास भेज दिया, जिसे अभी अपनी अंतिम सिफारिश करनी है । ***संसद का अनुमोदन लंबित है***
58.	86	**सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक की इक्विटी धारिता का अधिग्रहण** भारतीय रिजर्व बैंक की इक्विटी धारिता का अधिग्रहण सरकार, भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की इक्विटी धारिता प्राप्त करने का प्रस्ताव करती है। मैंने इस प्रयोजनार्थ 40,000 करोड़ रुपए की	भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता सरकार द्वारा 29 जून, 2007 को अधिगृहीत की गई जिसके लिए 35,531 करोड़ रुपए का नकद भुगतान किया गया । ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		व्यवस्था की है परन्तु इस लेनदेन से सरकार को कोई घाटा नहीं होगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	
59.	87	**विभेदक ब्याज दर स्कीम** विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) स्कीम, लाभप्रद व्यवसायों में लगे समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत की दर पर वित्त उपलब्ध कराती है। मेरा प्रति लाभार्थी ऋण की सीमा 6,500 रुपएसे बढ़ाकर 15,000 रुपए करने और आवासीय ऋण की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000रुपए करने का प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रति लाभार्थी ऋण की सीमा 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने तथा आवास ऋण की सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का परिपत्र 13 जून 2007 को जारी कर दिया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने विभेदक ब्याज-दर योजना के अधीन ऋण-सीमा में और बढ़ोतरी करने संबंधी दिशानिर्देश अपने कार्यालयों और शाखाओं को दे दिए हैं । ***कार्रवाई पूर्ण***
60.	88	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण ऋण के वितरण में तीसरी शक्ति के रूप में उभरे हैं और प्रायोजक बैंकों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये बैंक और अधिक जिम्मेदारियां लेने के इच्छुक हैं। डा.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय समावेशन संबधी समिति ने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकोके संबध में कतिपय सिफारिशें की हैं। अतः मेरा प्रस्ताव है किः	भारतीय रिजर्व बैंक ने आज की तारीख तक 321 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी कर दिए हैं, जिनमें से 122 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं । 39 शाखाएं कवर न किए गए जिलों में हैं । ***कार्य प्रगति पर***
		• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक आक्रामक शाखा विस्तार कार्यक्रम शुरू करने और 2007-08 में देश के कवर न किए गए 80 जिलों में कम से कम एक शाखा खोलने के लिए कहा जाए;	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एसएआरएफएईएसआई अधिनियम लागू करने संबंधी अधिसूचना 17 मई, 2007 को जारी कर दी गई है । ***कार्रवाई पूर्ण***
		• वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा ब्याज प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम का विस्तार क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा दिए गए ऋणों पर किया जाए;	भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एनआरई/ एफसीएनआर(बी) निक्षेप स्वीकारने की अनुमति दे दी है । ***कार्रवाई पूर्ण***
		• इन बैंकों को एनआरई/एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दीजाए; और • उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों जिनकी निवल संपत्ति ऋणात्मक है, को एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः पूंजी प्रदान की जाए। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवां विभाग)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और सरकार द्वारा 1,796 करोड़ रुपए के अंशदान का 50% अर्थात् 898 करोड़ रुपए का प्रस्ताव 30 जनवरी, 2008 को अनुमोदित कर दिया गया है । ***कार्रवाई पूर्ण***
61.	89	**प्रतिवर्ती बंधक स्कीम** राष्ट्रीय आवास बैंक शीघ्र ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नूतन योजना प्रतिवर्ती बंधक'आरम्भ करेगा जिसके अंतर्गत एक वरिष्ठ नागरिक जो किसी मकान का स्वामी है, अपने मकान को बंधक रखने के एवज में निश्चित मासिक आय प्राप्त कर सकता है, जबकि वह ऋण की अदायगी या शोधन किए बिना अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में मकान का स्वामी बना रहेगा और उसपर काबिज रहेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवाएं विभाग)	रिवर्स मोर्टगेज ऋण (आरएमएल) के लिए बैंकों को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अंतिम कार्यात्मक दिशानिर्देश 31 मई, 2007 को जारी किये गये हैं । इस योजना का ब्यौरा इस आवास बैंक की वेबसाइट nhb.org.in. पर उपलब्ध है । ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
62.	90	**बंधक गारंटी कंपनियों का गठन** हमारे लोग आवास ऋण चाहते हैं। बैंक और आवास वित्त कंपनियां जो बंधक रखने के बदले ऋण देती हैं, के लिए अधिक सुविधाजनक होगा यदि बंधकनामे को उधारकर्ता, ऋणदाता औरगांरटीदाता के बीच एक त्रिपक्षीय संविदा के जरिए गारंटी प्रदान की जाए। बंधक गारंटी कंपनियों के गठन को अनुमति देने वाले विनियम लाए जाएंगे। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	इस आशय, कि रेहन गांरटी कंपनियों को नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां माना जाएगा, की अधिसूचना जारी कर दी गई है। रेहन गांरटी कंपनियों के लिए विनियामक ढांचा संबंधी दिशा-निर्देश सर्वसाधारण के अभिमत हेतु प्रस्तुत किए गए हैं । ***कार्य प्रगति पर***
63.	91	**वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना** राष्ट्रपति जी ने नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अनन्य स्वास्थ्य बीमा योजना का 6 दिसम्बर 2006 को उद्घाटन किया। मैंने अन्य तीन सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी प्रकार की योजनाओं की पेशकश करने को कहा है और उन्होंने 2007-08 में ऐसा करने पर सहमति प्रकट की है। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शुरू की गई हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
64.	92	**लघु वित्तीय क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक** लघु वित्तीय क्षेत्रक (विकास और विनियमन) विधेयक तथा बीमा कानूनों में संशोधन के लिए एक व्यापक विधेयक बजट सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगें। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवां विभाग)	लघु वित्तीय क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक लोकसभा में 20 मार्च, 07 को पहले ही पेश किया जा चुका है और यह वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है । विधि आयोग/केपीएन समिति और बीमा और विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) की सिफारिशों के आधार पर, बीमा कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है । तद्नुसार, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2006 संबंधी मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार की गई और मंत्रिमंडल को भेजी गई थी । मंत्रिमंडल ने, विचार-विमर्श करने के लिए इस विधेयक को मंत्रियों के समूह के पास भेज दिया है । इस पर उसे अंतिम सिफारिश करनी है । ***संसद का अनुमोदन लम्बित है***
65.	93	**नाबार्ड के तहत वित्तीय समावेशन निधि ओर वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना** वित्तीय समावेशन समाज के कमजोर तबको की वहनीय लागत पर समय पर और पर्याप्त ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन संबंधी समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है। जहां हम अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं, वहीं सरकार ने16 तत्काल इसकी दो सिफारिशें कार्यान्वित करने का फैसला किया है। पहली सिफारिश विकासात्मक और संवर्धनात्मक उपायों की लागत वहन करने हेतु नाबार्ड में एक वित्तीय समावेशन निधि की स्थापना करना है। दूसरा प्रौद्योगिकी अपनाने की लागतों को पूरा करने के लिए एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना करना है। प्रत्येक निधि में 500 करोड़ रुपए का एक समग्र कार्पस होगा और इसका आरम्भिक निधिपोषण केद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वाराकिया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के लिए कार्य योजना तैयार कर दी है । वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि 25-25 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कारपस से स्थापित की जा रही है । इनमें भारत सरकार, भा.रि.बैंक और नाबार्ड से अंशदान 40:40: 20 के अनुपात में होगा । इन निधियों के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर 10-10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है । ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
66.	94	**पूंजी बाजारके सुदृढ़ीकरण के उपाय** पूंजी बाजार वित्तीय संसाधनों में मध्यस्थता करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारतीय पूंजी बाजार की सुदृढ़ता को मान्यता देते हुए इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशंस ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन्स ने अपना वार्षिक सम्मेलन अप्रैल, 2007 में मुम्बई में आयोजित करने का निर्णय लिया है। बाजार को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिवर्ष घोषित उपायों की श्रृंखला में, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:- • प्रतिभूति बाजार के सभी भागीदारों के लिए पैन को एकमात्र पहचान संख्या बनाया जाए जिसमें किसी विशेष प्रकार के खाता में अन्तर करने के लिए एक अल्फान्यूमेरिक उपसर्ग या प्रत्यय हो; • विभिन्न बाजार भागीदारों के लिए सेबी द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों के अधीन स्वविनियामक संगठनों (एसआरओ) की विचारणा को आगे बढ़ाना और यदि आवश्यक हो तो एक समर्थकारी कानून द्वारा समर्थित किया जाएगा। • म्युचुअल फंडो को विनियुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर निधियां शुरू करने और प्रचालित करने की अनुमति देकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र को निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना; • व्यक्तियों को भारतीय म्युचुअल फंडो के माध्यम से निवेश करने की अनुमति देकर व्यक्तियों और भारतीय म्युचुअल फंडो को विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देने वाले विभिन्न विनियमों को एकरस्थ करना; • संस्थाओं द्वारा डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए डिलीवरी द्वारा परिनिर्धारित अल्पकालिक बिक्री और प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की अनुमति देना; • भारतीय कंपनियों को उनकी वित्त संबधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिमेय बांडों के निर्गम द्वारा ग्रुप कंपनियों में उनकी धारिताओं के हिस्से को बेचन`की अनुमति देने के लिए एक समर्थकारी व्यवस्था कायम करना। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	सेबी ने 27 अप्रैल, 2007 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें प्रतिभूति बाजार में किए जाने वाले सभी लेन-देनों, भले ही राशि कितनी भी है, के लिए पैन को ही एकमात्र पहचान संख्या बनाया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण*** सेबी द्वारा सेबी (एसआरओ विनियमन), 2004 में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और यह जल्द ही पूरी हो जाएगी । ***कार्य प्रगति पर*** समर्पित अवसंरचना निधियां शुरू करने और संचालित करने हेतु म्यूचुअल फंडों को अनुमति देने पर विचार करने के लिए, सेबी द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है और इसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है । ***कार्य प्रगति पर*** विदेशों में म्यूचुअल फंडों के निवेश अवसरों के विस्तार के लिए, सेबी द्वारा 26 सितम्बर, 2007 को एक परिपत्र जारी कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण*** 2007-08 की समाप्ति के पहले, इस योजना के प्रभावी होने की संभावना है । ***कार्य प्रगति पर*** वर्ष 2007-08 की समाप्ति के पहले, योजना की घोषणा की जाएगी । ***कार्य प्रगति पर***
67.	95	**इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को एनएसएफ से उधार लेने की अनुमति देना** राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से राज्यों की उधार लेने की न्यूनतम बाध्यता को कम करके निवल संग्रहण के 80 प्रतिशत पर लाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पिछले एनएसएसएफ ऋणों की वापसी अदायगी भी 2005-06 से शुरू हो चुकी है जिससे दीर्घकालिक उधारों के लिये संसाधन उपलब्ध होंगे। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ये निधियां भारतीय आधार भूतसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) द्वारा एनएसएसएफ से भी उधार ली जा सकतीहैं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्णीत ऐसी अन्य लिखतों में पुनर्शोधित निधियों के निवेश के लिए समर्थकारी प्रावधान करने हेतु राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (अभिरक्षा और निवेश) नियम, 2001 में संशोधन करने की बाबत अधिसूचना 12 सितंबर, 2007 को जारी की गयी थी । राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गयी है । ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
68.	97	**दीपक पारेख समिति की सिफारिशें** आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं। उनमें से एक सिफारिश मौद्रिक विस्तार का जोखिम उठाए बिना विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का एक छोटा भाग इस्तेमाल करने के बारे में है। समिति ने आईआईएफसीएल की दो पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना की सिफारिश की है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगेः (i) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना और भारत में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही भारतीय कम्पनियों को उधार देना; अथवा ऐसी परियोजनाओं के लिए उनके विदेशी वाणिज्यिक उधारों को पूर्णतः भारत के बाहर पूंजीगत व्यय के लिए वित्तपोषित करना; और (ii) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना, ऐसी निधियों को उच्च दर वाली संपर्श्विक प्रतिभूतियों में निवेशित करना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में संसाधनों को जुटाने हेतु भारत में आधारभूत संरचना की परियोजनाओं को 'ऋण कवच' बीमा उपलब्ध कराना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन दो अनुषंगी कम्पनियों को दिए जाने वाले ऋणों को भारत सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक अपने वृद्धिशील निवेश पर प्रतिफल की औसत दर की अपेक्षा अधिक प्रतिफल के प्रति आश्वस्त होगा। सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर सिफारिश के विधिक और विनियामक पक्षों की जांच करने का प्रस्ताव है ताकि आधारभूत संरचना के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाने की अभिनव पद्धति का पता लगाया जा सके। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	समिति की सिफारिशों की जांच की गई और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के निवेश से भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी की स्थापना करने की सिफारिश का अनुमोदन आरबीआई बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। निवेश भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा होंगे। ***कार्रवाई पूर्ण***
69.	99	**ई गवर्नेंस कार्यक्रम** सरकार ने ई-गवर्नेस हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में दक्षता, सुविधा, पहुंच तथा पारदर्शिता में सुधार करना है और सरकार की सेवाओं को आमलोगों तक पहुंचाना है। मैं ई-गवर्नेंस हेतु आवंटन को 2006-07 में 395 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 719 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। केद्र सरकार ई-गवर्नेंस कार्य योजना को राज्य स्तरों पर सहायता देती है और मैं ऐसी सहायता हेतु आवंटन में वर्ष 2006-07 में 300करोड़ रुपए से बढ़ोतरी कर 2007-08 में 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग हेतु मानव शक्ति विकास की एक नई योजना के लिए 33 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)	**ई-गवर्नेंस योजना की प्रगति** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) में नौ केंद्रीय मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में , ग्यारह राज्य एमएमपी, और सात एकीकृत एमएमपी, जो अनेक मंत्रालयों/विभागों से संबंधित है, भी शामिल हैं। इसमें आठ कार्यक्रम समर्थक संघटक भी शामिल हैं जिसका लक्ष्य सही शासन और संस्थागत तंत्र, महत्वपूर्ण अवसंरचना, नीतियां और मानक तथा ई-गवर्नेंस के अभिग्रहण के लिए आवश्यक विधायी ढांचे का सृजन करना है। राष्ट्रीय ई.शासन योजना मई, 2006 में अनुमोदित की गयी थी । एमसीए 21 परियोजना का कार्यान्वयन पिछले वर्ष सितम्बर में पूरा हो गया था । साधारण सेवा केंद्र, ई-न्यायालय और नगरपालिकाओं जैसी व्यष्टि मिशन मॉड परियोजनाओ की विस्तृत योजनाएं संबंधित मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई और अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। ई-जिला और यूआईडी (प्रत्येक निवासी के लिए अनन्य पहचान) जैसी नई परियोजनाएं इस राष्ट्रीय ई.शासन योजना में शामिल की गई थी। पासपोर्ट, कृषि, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राष्ट्रीय नागरिक डाटाबेस, राष्ट्रीय सेवा सुपुर्दगी गेटवे जैसी परियोजनाओं में

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			उल्लेखनीय प्रगति हुई । तीन वर्षों की अवधि में 49 करोड़ रुपए की कुल लागत पर सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग के लिए जनशक्ति विकास योजना भी अनुमोदित की गई है । ***कार्यक्रम जारी***
70.	100	**पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि** पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ने वर्ष 2006-07 में 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए। मैं वर्ष 2007-08 में इस आवंटन को बढ़ाकर 5,800 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। यह दो संघटकों का वित्त पोषण करेगा, पहला, 250 जिलों से सम्बन्धित होगा और दूसरे का बिहार के विशेष आयोजना से सम्बन्ध होगा। उड़ीसा के केबीके जिले जिन्हें 250 जिलों में शामिल किया गया है,सहायता की वही राशि प्राप्त करते रहेंगे जो विगत में प्राप्त करते रहे हैं। (नोडल मंत्रालय/विभागः योजना आयोग व्यय विभाग)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटक के लिए वर्ष 2007-08 का संशोधित अनुमान 3,600 करोड़ रुपए है । बिहार के लिए और उडीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना के लिए 1,130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया । ***कार्यक्रम जारी***
71.	101	**अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केद्र के रूप में मुम्बई** मुम्बई को एक क्षेत्रीय वित्तीय केद्र बनाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मेरा इरादा इस रिपोर्ट को लोगों की सामान्य जानकारी में लाना और उनकी प्रतिक्रिया (फीड बैक) प्राप्त करना है। मुझे आशा है कि हम समिति की मुख्य सिफारिशों पर सर्वसमति बनाने और मुम्बई में विश्वश्रेणी के वित्तीय केद्र को प्रोत्साहन देने तथास्त्रवित्तीय सेवाओं' को भारत का अगला विकास इंजन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	मुम्बई को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की जा चुकी है । रिपोर्ट का पूर्ण पाठ मंत्रालय की वेबसाइट http.www.finmin.nic.in/mifc.html पर रखा गया है जिसमें जनता से फीडबैक के लिए अनुरोध किया गया है । इसे 24 अगस्त, 2007 को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरीयता के आधार पर क्रियान्वयन के लिए चिह्नित सिफारिशें संबंधित विनियामकों/एजेंसियों को इस अनुरोध के साथ परिचालित की गई हैं कि वे इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर अपने अभिमत दें । एक कार्य योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा रही है । ***कार्रवाई पूर्ण***
72	102	**कौशल विकास संबंधी कृतिक बल** आर्थिक विकास के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हमारेपास कुशल तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति का भण्डार हो। कई क्षेत्रों में पहले ही इसका अभाव होगया है। इसके अलावा, हम कामकाजी आयु की जनसंख्या में बढ़ोतरी द्वारा जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा तभी उठा सकते हैं जब हमारे युवकों और युवतियों में अपेक्षित दक्षता हो। प्रधान मंत्रीने 2006 के अपने स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में व्यावसायिक शिक्षा मिशन की बात की थी। योजना आयोग में एक कार्यदल व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कार्य योजना को तैयार कर रहा है। वैकल्पिक मॉडल को अपनाया जा सकता है परन्तु यह दृष्टिकोण सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित होगा। मैं इस मिशन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : योजना आयोग)	योजना आयोग द्वारा गठित कौशल विकास संबंधी कृतिक बल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। योजना आयोग द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की गई है और मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है । ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
73.	103	**500 आईटीआई का उन्नयन** माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने वर्ष 2005 से पांच वर्षों में 500 आईटीआईके उन्नयन का कार्यक्रम चलाया था। उन्नयन किए गए पहले चरण के 100 आईटीआई में अगस्त,2005 से उन्नयन किए गए दूसरे चरण के 100 आईटीआई में अगस्त, 2006 से संशोधित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए। मुझे आशा है कि अन्य 300 आईटीआई को अगस्त, 2009 तक कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद भी 1,396 सरकारी आईटीआई बचे रहेंगे। (नोडल मंत्रालय/विभागः श्रम तथा रोजगार मंत्रालय)	विश्व बैंक की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार योजना के क्रियान्वयन का अनुमोदन कर दिया गया है । विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण करार पर 2 नवम्बर, 2007 को हस्ताक्षर किए गए । 2006-07 के दौरान उन्नयन के लिए 100 आईटीआई की पहचान की गई थी । 2007-08 के दौरान 131 आईटीआई की पहचान की गई है । *कार्रवाई पूर्ण*
74.	104	**1,396 आईटीआई का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन** मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसायों तथा कौशल के उत्कृष्टता केद्रों के रूप में 1,396 आईटीआई का उन्नयन किया जाए। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत, आईटीआई के स्वामित्व के रूप में राज्य सरकार, प्रवेश तथा शुल्कों को विनियमित करती रहेगी; नए प्रबन्धन को शैक्षणिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और केद्र सरकार प्रारम्भिक धन के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। आईटीआई को दूसरी शिफ्ट प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। एक बार तीनों हिस्सेदारों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने पर मैं प्रत्येक आईटीआई के उन्नयन तथा पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वर्ष 2007-08 से शुरु करके प्रत्येक वर्ष सरकारी निजी भागीदारी के तहत कम से कम 300आईटीआई के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैंने इस उद्देश्य हेतु 750 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : श्रम तथा रोजगार मंत्रालय)	''सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन'' नामक योजना अनुमोदित कर दी गई है । यह योजना शुरू हो गई है और इसके क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इसका प्रस्तावित परिव्यय 3,655 करोड़ रुपए है । पहले वर्ष के दौरान उन्नयन हेतु 21 राज्यों ने 309 आईटीआई और संबंधित उद्योग भागीदारों की पहचान की है । शेष राज्यों में आईटीआई और उद्योग भागीदारों की पहचान का काम चल रहा है । *कार्रवाई पूर्ण*
75.	105	**विकलांगों के लिए रोजगार योजना** समाज के लाभवंचित वर्गों में विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। वे नियमित रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। संगठित क्षेत्रक में नियोक्ताओं को नियमित रोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु, मैं एक ऐसी योजना का प्रस्ताव करता हूं जिसके अन्तर्गत एक बार विकलांग व्यक्ति को नियमित करने पर और कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के अन्तर्गत नामांकित करने पर सरकार नियोक्ता को पुरस्कृत करेगी। इस योजना के अन्तर्गत सरकार पहले तीन वर्षों के लिए नियोक्ता के ईपीएफ तथा ईएसआई में किए गए अंशदान की प्रतिपूर्ति करेगी। सरकार विकलांग व्यक्तियों हेतु 25,000 रुपए प्रति माह की वेतन सीमा वाले लगभग 100,000 रोजगारों के सृजन को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। मेरा अनुमान है कि	विकलांग व्यक्ति रोजगार योजना अनुमोदित कर दी गई है । *कार्रवाई पूर्ण*

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		जब यह योजना पूर्णतः अस्तित्व में आ जाएगी तो सरकार पर प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा जो बढ़कर प्रतिवर्ष 450 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने इसके लिए 1,800 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय)	
76.	106	**ऋण प्रबन्धन कार्यालय** सम्पूर्ण विश्व, में ऋण प्रबन्धन मौद्रिक प्रबन्धन से भिन्न है। सरकार के अधीन ऋण प्रबन्धन कार्यालय (डीएमओ) की स्थापना की काफी समय से वकालत की जाती रही है। अब तक प्राप्त राजकोषीय समेकन ने हमें पहला कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित किया है। तदनुसार मैं एक स्वशासी ऋण प्रबन्धन कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं और पहले चरण में एक मध्यवर्ती कार्यालय की स्थापना की जाएगी जो पूर्णतः डीएमओ के साथ लेन-देन को सुविधाजनक बनाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	ऋण प्रबंधन कार्य का मौद्रिक प्राधिकरण से पृथक्कीकरण कार्य, ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना करके शुरू होगा । इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा, जो वित्त मंत्रालय में एक मध्यवर्ती कार्यालय के सृजन से शुरू होगा । इस मध्यवर्ती कार्यालय के संगठनात्मक ढांचे और क्रियाकलापों/उत्तरदायित्वों से संबंधित प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है । मध्यवर्ती कार्यालय के काम करने संबंधी तौर-तरीकों को तैयार किया जा रहा है । ***कार्रवाई पूर्ण***
77.	107	**भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी** अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के बढ़ते रुतबे के अनुरुप हमें स्वेच्छा से अन्य विकाशील देशों के विकास के संवर्धन में अधिक उत्तरदायित्व लेना होगा। वर्तमान में, भारत कई मंत्रालयों और एजेंसियों के माध्यम से विकास सहयोग देता है और इसकी कुल राशि लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष है। यह अनुभव किया गया है कि विकास सहयोग संबंधी सभी गतिविधियों को एकछत्र के नीचे लाया जाए। तदनुसार सरकार, भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (ईडका) की स्थापना का प्रस्ताव करती है। विदेश, वित्त और वाणिज्य मंत्रालय और अन्य भागीदारों को ईडका में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः विदेश मंत्रालय)	इस अभिकरण को भारतीय भागीदारी विकास एजेंसी (आईएपीडी) नाम दिया जाएगा । इसकी स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है । ***कार्य प्रगति पर***
78.	108	**जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशिषज्ञ समिति** भारत का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में न तो कोई महत्वपूर्ण योगदान है और न ही निकट भविष्य में वह ऐसा करेगा। तो भी, ''साझा परन्तु विशिष्ट उत्तरदायित्व'' के सिद्धांत के अनुरूप भारत ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन प्रभाव के अनुकूल बनने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र का भी सुदृढ़ उन्नयन किया है और इसके पास विश्व की सबसे अधिक स्वच्छ विकास की परियोजनाएं हैं। फिर भी, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील देशों में से है। अतः सरकार, भारत पर पड़नेवाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने और भविष्य में हमारे द्वारा किए जाने वाले उपायों की पहचान हेतु एक	भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार (श्री आर. चिदम्बरम) की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है । समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल हैं : (क) मानव कार्यकलापों के कारण जलवायु परिवर्तन से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना । (ख) उन उपायों को पहचानना जो हमें भविष्य में मानव कार्यकलापों के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की संभाव्यता के निवारण के संबंध में करने पड़ सकते है; और (ग) उपर्युक्त (क) और (ख) से संबद्ध अन्य कोई भी विषय । **कार्रवाई पूर्ण**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : पर्यावरण और वन मंत्रालय)	
79.	109	**राष्ट्रमंडल खेल** भारत ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 दिल्ली में कराने का दावा रखा और इसमें सफलता प्राप्त की। राष्ट्र ने बड़ा गौरव महसूस किया जब श्री राजीव गांधी के मार्गदर्शन में हमने 1982 में सफलतापूर्वक एशियाई खेलों का आयोजन किया। हम इसका सारा श्रेय अपने देशवासियों को देते हैं कि वे इन राष्ट्रमंडल खेलों को भी उतनी ही यादगार घटना बनाएं। मैं 2007-08 में इन खेलों के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय को 150 करोड़ रुपए और दिल्ली सरकार को 350 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह, मैं पुणे में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008 के लिये 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय)	इनके बजट प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं -(i) खेल अवसंरचना हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण; (ii) खेलों के संचालन के लिए राष्ट्रमंडल खेल 2010 की आयोजन समिति; और (iii) टेनिस के स्थान के लिए अखिल भारतीय टेनिस संघ । इन एजेंसियों को चरणों में निधियां जारी की जा रही हैं । सरकार ने अब तक निम्नलिखित निधियां जारी की हैं : (i) आयोजन समिति, राष्ट्रमंडल खेल - 2010 : खेलों के संचालन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं अर्थात सीजीएफ रहित/तत्काल आवश्यकताओं आदि के लिए ऋण के रूप में 173 करोड़ रुपए । (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण : राष्ट्रमंडल खेल- 2010 के लिए खेल अवसंरचना के सृजन/उन्नयन हेतु 159 करोड़ रुपए । (iii) अखिल भारतीय टेनिस संघ : आर0के0 खन्ना लॉन टेनिस स्टेडियम के उन्नयन के लिए 50 लाख रुपए। ***कार्रवाई पूर्ण***
80.	110	**गांधी जी के कार्य को जारी रखने वाली संस्थाओं हेतु निधियां** चूंकि हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का 150वां वर्ष और सत्याग्रह आंदोलन का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ऐसे में हमारा ध्यान उन संस्थाओं की ओर जाता है जो गांधी जी के कार्य और अन्य रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। मैं उन चार संस्थाओं, जिनके कार्यों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, के लिए 30 करोड़ रुपए अलग रखने की इच्छा व्यक्त करता हूं। ये चार संस्थाएं साबरमती आश्रम, अहमदाबाद; सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, भंडारकर ओरियंटल अनुसंधान संस्थान, पुणे; और राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, पटना हैं। मेरा इरादा बौद्धिक कार्यकलाप के एक प्रमुख केंद्र होने के नाते नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, दिल्ली की संग्रह क्षमता के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का भी है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : संस्कृति मंत्रालय)	साबरमती आश्रम, अहमदाबाद - 10 करोड़ रुपए पूरक अनुदान मांग 2007-08 के प्रथम बैच में शामिल किए गए और यह राशि जारी की जा चुकी है । भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे - 5 करोड़ रुपए पूरक अनुदान मांग 2007-08 के प्रथम बैच में शामिल किए गए । नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली - 20 करोड़ रुपए की राशि, पूरक अनुदान मांग 2007-08 के प्रथम बैच के प्रस्ताव में शामिल की गई और यह राशि जारी की जा चुकी है। सेवा ग्राम आश्रम, वर्धा - इस संस्थान ने बजटीय सहायता अस्वीकार कर दी थी और यह राशि गांधी शांति प्रतिष्ठान को दे दी गयी। राजेद्र स्मृति संग्रहालय, पटना - राजेद्र स्मृति संग्रहालय, पटना ने 10 करोड़ रुपए की निधियों की आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट, प्रस्तुत की थी, जिसे अनुमोदित कर दिया गया है । संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह राशि पूरक अनुदान मांगों के तीसरे बैच के प्रस्ताव में शामिल की जाएगी । ***कार्रवाई पूर्ण***
81.	111	**भारतीय और विदेशी संस्थाओं से अध्येताओं को विशिष्ट परियोजना कार्य के लिए रखना** संस्कृति मंत्रालय ने विशिष्ट परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए भारतीय और विदेशीसंस्थाओं से शिक्षाविदों को रखने का प्रस्ताव किया है। उनकी नियुक्ति की शर्तें शिक्षाविदों को स्वतंत्रता और नम्यता उपलब्ध कराएंगी। मैं इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपए का	0.01 करोड़ रुपए के सांकेतिक प्रावधान को पूरक अनुदान मांग 2007-08 के प्रथम बैच में अनुमोदित किया गया । ''संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ज्ञान संस्था में लचीले नियोजन हेतु छात्र अध्येतावृत्ति'' नामक नई योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		आरंभिक अनुदान देने का इरादा रखता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : संस्कृति मंत्रालय)	
82.	112	**कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान** मैं विगत दो वर्षों की तरह उत्कृष्टता को महत्व देने के लिए को 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबतूर का चयन किया है और प्रत्येक को 50 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)	गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर को 50-50 करोड़ रुपए के विशिष्ट अनुदान अनुमोदित किए हैं। दोनों विश्वविद्यालयों को 25-25 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है । ***कार्रवाई पूर्ण***
83.	116	**राष्ट्रीय स्तर के वस्तु और सेवा कर शुरू करने हेतु रूपरेखा** मैं राज्य सरकारों और विशेष रूप से उनके वित्त मंत्रियों द्वारा प्रदर्शित सहकारी संघवाद कीभावना की तहेदिल से प्रशंसा करना चाहता हूं। मेरे अनुरोध पर, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति 1 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय स्तर के सामान और सेवा कर (जीएसटी) शुरु करने हेतु एक रुपरेखा बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करने को सहमत हो गई है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के विचारार्थ विषयों को संशोधित किया गया है ताकि यह सशक्त समिति '1 अप्रैल, 2010 से देश में वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) शुरू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने में केद्र सरकार के साथ काम कर सके और सभी संबंधित मामलों में कार्रवाई कर सके' इस समिति ने केद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों को मिला कर 10 मई, 2007 को एक संयुक्त कार्यदल गठित किया। इस संयुक्त कार्यदल ने सशक्त समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । सशक्त समिति की सिफारिशों सहित रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा । ***कार्य प्रगति पर***
84.	159	**उद्ग्रहणों की मौजूदा संरचना के अध्ययन और सिफारिशें करने के लिए समिति** दूर संचार उद्योग ने बार-बार यह अनुरोध किया है कि उद्योग से सम्बन्धित अनेक करों, प्रभारोंतथा शुल्क को एकीकृत किया जाए तथा एकल राजस्व शुल्क की वसूली की जाए। यह अनुरोध विचारणीय है। इसलिए, मैं दूर संचार विभाग से उदग्रहणों की मौजूदा संरचना के अध्ययन हेतु समिति का गठन करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के अनुरोध का प्रस्ताव करताहूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः दूरसंचार विभाग, राजस्व विभाग)	दूरसंचार क्षेत्र में लागू करों तथा उदग्रहणों की वर्तमान संरचना के अध्ययन/समीक्षा के लिए, 27 अप्रैल, 2007 को दूरसंचार विभाग द्वारा एक उप-समिति गठित की गयी थी । समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । ***कार्रवाई पूर्ण***
85.	183	**कर प्रशासन** कर सुधारों के साथ-साथ सरकार ने कर-प्रशासन पर अत्यधिक जोर दिया है। भारत में करों की वसूली की लागत विश्व के देशों में सबसे कम वालों में है। वर्ष 2007-08 के लिए अनेक प्रशासनिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें वार्षिक सूचना विवरिणियों के कवरेज का विस्तार करना, और अधिक क्षेत्रों तक 'रिफन्ड बैंकर सिस्टम' का विस्तार करना, अधिक बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी माध्यम	**1. वार्षिक सूचना विवरणियां :** वार्षिक सूचना विवरणियों (एआईआर) के दायरे को बढ़ाने का मामला विचाराधीन है । **2. केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लिए धन वापसी बैंकर योजना:** • 30 सितम्बर, 2007 से धन वापसी बैंकर योजना को चार महानगरों और बंगलौर में विस्तारित किया गया है (निगमित तथा छूट प्रभारों को छोड़कर) धन वापसी संबंधी पूछताछ के लिए एक सहायता केद्र (काल सेंटर) का प्रबंध किया गया है ।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		द्वारा भुगतान की सुविधा का विस्तार करना, कर निर्धारितियों की और श्रेणियों के लिए आय कर विवरणियों को इलैक्ट्रानिकी माध्यम से भरना अनिवार्य बनाना और नए कर दाताओं की बड़े पैमाने पर नई यूनिटों का सृजन करना शामिल है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	**3. बैंकों के माध्यम से ई-भुगतान सुविधा का विस्तार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :** • करों के अनिवार्य ई-भुगतान की योजना को 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है । • अब 18 बैंक ई-भुगतान की सुविधा दे रहे हैं । • जल्द ही 9 और बैंक यह सुविधा देने लगेंगे। **केंद्रीय उत्पाद-कर और सीमा-शुल्क बोर्ड :** • सीमाशुल्कों के ई-भुगतान की प्रायोगिक परियोजना दिल्ली में तीन सीमा शुल्क स्थानों पर चार बैंकों नामशः पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कारपोरेशन बैंक सहित पूरी की गई । अब ई-भुगतान की सुविधा 28 (अट्ठाईस) स्थानों पर है । ई-भुगतान सुविधा का शीघ्र ही अहमदाबाद, मुंद्रा और त्रिवेंद्रम स्थित शेष स्थानों पर शुरू किए जाने की आशा है । विभिन्न सीमा शुल्क केंद्रों और साथ ही कुछ बैंकों को आशोधित सॉफ्टवेयर संस्थापित करने संबंधी अनुदेश जारी किए गए हैं । कुछ अन्य स्थानों पर, बैंकों के साथ अब भी परीक्षण चल रहा है तथा मार्च, 2008 तक इन स्थानों पर ई-भुगतान की सुविधा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है । • मुख्य निर्धारितियों अर्थात, वे जो अक्तूबर, 2006 से सेवा कर में और 1 अप्रैल, 2007 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए - 50 लाख रुपए से अधिक का वार्षिक राजस्व अदा कर रहे हैं, के लिए ई-भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। **4. कुछ और श्रेणियों के निर्धारितियों के लिए विवरणियों की ई-फाइलिंग को अनिवार्य करना** **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :** • कुछ और श्रेणियों के कर दाताओं के लिए ई-फाइलिंग की योजना को बढ़ाने के संबंध में की गयी घोषणा को कार्यान्वित किया जा चुका है । • 17 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, 14.15 लाख विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की गईं थी। • कंपनियों और फर्मों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य है बशर्ते कि धारा 44 कख के तहत लेखा-परीक्षा की जाए तथा विवरणियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 नवम्बर, 2007 थी । **केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड** एसीईएस (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर में ऑटोमेशन) परियोजना केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के चुनिंदा आयुक्तालयों में प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षा से गुजर रही है । निर्धारितियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी दाखिल करना अनिवार्य बनाने से एसीईएस में स्थिरीकरण आएगा और उसका विस्तार सभी आयुक्तालयों और निर्धारितियों तक हो जाएगा । **5. अधिक एलटीयू का सृजन** **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :** बंगलौर स्थित एलटीयू अक्तूबर, 2006 से काम कर रहा है और चेन्नई स्थित एलटीयू 1 दिसम्बर, 2007 में काम करने लगा। मुंबई और दिल्ली में एलटीयू कार्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना सृजित करने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है। **केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड** बंगलौर में पहला एलटीयू अक्तूबर, 2006 से काम कर रहा है और दूसरा एलटीयू 1 दिसम्बर, 2007 से चेन्नई में काम करने लगा। ***कार्यक्रम जारी***